

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४९

12 माघ, 1933 शकाब्द राँची, बुधवार 1 फरवरी, 2012

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

30 जनवरी, 2012

संख्या-एल० जी०-19/2011-14/लेज०-झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 21 जनवरी, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[झारखण्ड अधिनियम 02, 2012]

झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011

झारखण्ड राज्य में वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करारोपण हेतु एक अधिनियम ।

प्रस्तावनाः-

चूँकि राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए एक कोष सृजित करने हेतु यह आवश्यक हो गया है कि राज्य निधि में संसाधनों की वृद्धि हेतु अविलंब आवश्यक कदम उठाएं जाए तथा वृति, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर करारोपण हेतु प्रावधान किए जाए ;

एतद द्वारा भारत के गणतंत्र के बासदवें वर्ष में झारखंड के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित

रूप से अधिनियमित हो : -

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंम — (1) यह अधिनियम झारखण्ड वृतियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

- (3) यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गमन से नियत की जानेवाली तिथि से प्रवृत्त होगा।
- परिभाषाएँ (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, –
- (क) अपीलीय प्राधिकारी से अभिप्रेत झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी है।
- (ख) "करदाता" से अभिप्रेत है एक व्यक्ति या नियोक्ता जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर देय है।
- (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "आयुक्त" से अभिप्रेत है झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के अंतर्गत सरकार द्वारा नियुक्त वाणिज्य—कर आयुक्त या वाणिज्य कर अपर आयुक्त और इसमें झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्त कोई अन्य अधिकारी सम्मिलित हैं जिन्हें राज्य सरकार, अधिसूचना के द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये आयुक्त की सभी या कोई भी शक्तियाँ या कर्त्तव्य प्रदत्त करे।
- (घ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो वेतन या मजदूरी के आधार पर नियोजित है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: —
- (i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का एक कर्मचारी जिसके वेतन का भुगतान भारत या किसी राज्य की संचित कोष या रेलवे कोष से किया जाता है;

(ii) किसी निकाय की सेवा में कोई व्यक्ति, निगमित या नहीं, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में जहां निकाय राज्य के किसी भी हिस्से में

संचालित है, हालांकि इनके मुख्यालय राज्य के बाहर स्थित हो सकते हैं;

- (iii) किसी कम्पनी की सेवा में कोई व्यक्ति निगमित या नहीं, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित या बोर्ड, स्थानीय प्राधिकार, कॉरपोरेशन, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कम्पनी या अन्य बैंकों, बीमा कम्पनियों या ऐसे सभी संगठनों, सोसाईटी, होटलों, सहकारी संस्थाओं, विदेशी कम्पनियों ज्वाइंट वेंचर सिहत कम्पनी जो व्यक्ति को वेतन या पारिश्रमिक के मुगतान पर नियुक्त करते हैं एवं इस उद्देश्य के लिए स्वनियोजन या स्वनियोजित भी सिम्मिलत हैं।
- (iii) कोई अन्य व्यक्ति, किसी नियोक्ता की किसी भी रोजगार में संलग्न, परन्तु उपर्युक्त मद (i) और (ii) से आच्छादित नहीं है;

(ङ) नियमित आधार पर कोई वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी कर्मचारी के संबंध में – "नियोक्ता" से अभिप्रेत हैं वह व्यक्ति या अधिकारी जो ऐसे वेतन या मजदूरी के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, और इसमें किसी कार्यालय या प्रतिष्ठान के प्रमुख के साथ ही नियोक्ता का प्रबंधक या एजेंट शामिल होता है:

(च) "रोजगार" से अभिप्रेत है कोई भी व्यक्ति जिसकी नियुक्ति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार में हो. या उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे वह राज्य या केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है, पर्वदों, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनियों एवं अन्यथा बैंकों, बीमा कंपनियों या ऐसे सभी संगठनों, में की गई है जो वेतन या मजदूरी का मुगतान कर व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और इस प्रयोजन के लिए स्वरोजगार या स्वनियोजित को भी शामिल किया जाता है।

(छ) किसी भी वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार के संबंध में "संलग्न" से अभिप्रेत हैं: ऐसे वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार में पूर्णतः या अन्यथा व्यस्त; चाहे ऐसे पेशे से कोई भी

आर्थिक लाभ या किसी भी प्रकार का लाभ, वास्तव में होता है या नहीं।

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखंड की राज्य सरकार

(झ) **"स्थानीय प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं —

(क) नगर निगम

(ङ) नगर पर्षद

(ख) नगरपालिका

(च) खान पर्षद

(ग) अधिसूचित क्षेत्र समिति

(छ) नगर पालिका पर्षद

(घ) छावनी पर्षद

(ज) ग्राम पंचायत

(झ) नगर पंचायत, या

कोई अन्य स्थानीय प्राधिकार या कोई भी प्राधिकार, तत्समय प्रचलित कानून के अंतर्गत गठित या जारी, चाहे उसे किसी भी नामावली से जाना जाता है।

(ञ) "महीना" से अभिप्रेत हैं, एक कैलेंडर महीना और एक महीने से कम की अवधि के संबंध में, इसकी गणना अनुपात में की जाएगी।

(ट) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना।

(ंट) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है झारखंड राज्य में कोई भी व्यक्ति जो किसी वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार में लगा हुआ है या व्यवसाय में लगा हुआ है या कोई व्यवसाय करता है; और इसमें शामिल है एक हिंदू अविभाजित परिवार, फर्म, कंपनी, विदेशी कंपनी, निगम अथवा अन्य निगमित निकाय, सहकारी समिति सहित कोई समिति, क्लब या संघ, जो इस प्रकार शामिल हो लेकिन इसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो आकरिमक आधार पर मजदूरी अर्जित करता हो:

व्याख्या I : फर्म, कंपनी, विदेशी कंपनियाँ, निगम या अन्य निगमित निकाय, कोई भी समिति (सोसाइटी), क्लब या संघ की प्रत्येक शाखा को एक व्यक्ति समझा जायेगा भले ही उसका मुख्य व्यवसाय राज्य स्थित है या नहीं:

व्याख्या II : फर्म का अर्थ है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत अथवा नहीं;

व्याख्या III : एक व्यक्ति को किसी वृति, व्यापार या आजीविका का प्रयोग किया या राज्य के भीतर एक नियुक्ति प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, यदि उस व्यक्ति का राज्य के भीतर एक कार्यालय या रोजगार हो।

- (ड) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (ढ) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्रेत झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखंड अधिनियम 05, 2006) की धारा 4 के खंड (2) के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये ऐसे प्राधिकारियों को उक्त अधिसूचना के द्वारा या अंतर्गत, संगत प्रविष्टियों में अंकित विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्रों के मीतर कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन करने के लिये नियुक्त और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी।

- (ण) "तिमाही" से अभिप्रेत है 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त तिमाही।
- (त) 'वेतन या मजदूरी' में शामिल है वेतन, महंगाई भत्ते और नियमित आधार पर किसी करदाता द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार के पारिश्रमिक, चाहे नकद या वस्तु के रूप में देय हो और इसमें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 में परिभाषित वेतन के बदले में अनुलाम और लाभ शामिल हैं, लेकिन किसी खाते में किसी भी रूप में बोनस या उपादान या पेंशन शामिल नहीं हैं।
- (थ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची;
- (द) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखंड राज्य
- (ध) "कर" से अभिप्रेत है वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर इस अधिनियम के अधीन देय कर
- (न) ''व्यवसाय करना' कथन में किसी भी प्रकृति के कारोबार (व्यवसाय), चाहे पृथक हो या नहीं, जैसे कि ऑर्डर की मांग करना, प्राप्त करना या भेजना या मालों को खरीदना, तैयार करना, निर्माण करना, निर्यात करना, आयात करना, वसूली करना, भेजना या अन्यथा उनका सौदा करना समझा जाएगा।
- (त) "न्यायाधिकरण" से अभिप्रेत हैं झारखंड मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरण।
- (प) "कल्याण कोष" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्मित "झारखंड कल्याण कोष", राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से सृजित।
- (फ) "वर्ष" का अर्थ है एक वित्तीय वर्ष और एक वर्ष से कम की अविध के संबंध में इसकी गणना अनुपात में की जाएगी।

इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और कथनों का वही अर्थ होगा जो उनके लिये झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 और उनके बाद बने नियमों में निर्दिष्ट है।

- 3. कर का उद्ग्रहण और भार (1) भारत के संविधान की अनुच्छेद 276 और इस धारा की उप—धारा (3) के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक व्यक्ति जो किसी वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों का प्रयोग करता है या व्यवसाय चलाता है उसके ऊपर राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए, कर का प्रभार होगा और उसे उद्ग्रहित किया जायेगा।
- (2) किसी वृति, व्यापार, आजीविका और रोजगार में सक्रिय रूप से या अन्यथा संलग्न और अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में वर्णित एक या अन्य वर्ग के अंतर्गत आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों के वर्गों के लिये उक्त अनुसूची के तीसरे स्तंभ में वर्णित दर से राज्य सरकार को कर देय होगा।

परन्तु यह कि, किसी व्यक्ति के संबंध में इस तरह का देय कर संविधान के अनुच्छेद 276 के कंडिका-2 में विहित बंधेजों के अध्यधीन होगा।

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में कर की अलग-अलग दर या दरें निर्दिष्ट कर सकती हैं।

- (3) (i) जिस व्यक्ति का वेतन प्रति महीने तीन लाख रूपये से अधिक नहीं है उसके द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।
- (ii) केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल में नियोजित व्यक्तियों द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।
- 4. कल्याण कोष में कर का विनियोजन (1) इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपित और उद्ग्रहित कर को इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (प) के अंतर्गत निर्मित कल्याण कोष में विनियोजित किया जायेगा।
- (2) धारा 3 और 5 के अंतर्गत देय कर उस समय तक लगाये जायेंगे जब तक यह राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
- (3) 'कल्याण कोष' से होने वाली आय का उपयोग सिर्फ राज्य की अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए किया जायेगा।
- (4) राज्य सरकार, इस संबंध में जारी अधिसूचना द्वारा, यथा अधिसूचित उपयुक्त लेखा शीर्षों में या ऐसे बैंक खाता में कर जमा करने की विधि निर्दिष्ट करेगा।
- (5) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी, जो इस धारा के उद्देश्य पूर्ति हेतु कल्याण कोष के व्यय के तरीके निर्धारित करेगी।

5. कर्मचारियों की तरफ से कर कटौती तथा कर भुगतान करने का नियोक्ता का दायित्व

धारा 6 में यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अंतर्गत वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा देय कर, उसके नियोक्ता द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान किये गए मासिक वेतन या मजदूरी से काटा जाएगा, और भले ही ऐसे व्यक्ति को वेतन या मजदूरी का भुगतान करने के समय ऐसी कटौती की गई है या नहीं, ऐसे नियोक्ता को तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों / व्यक्तियों की तरफ से कर के भुगतान का दायित्व होगा।

परंतु यह कि जहां नियोक्ता राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों, या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे वे राज्य या केन्द्रीय सरकार, पर्षदों, स्थानीय प्राधिकरणों, सार्वजनिक या निजी लिमिटेड कंपनियों, या अन्यथा बैंकों, बीमा कंपनियों, सोसाइटियों (समितियों) या ऐसे सभी संगठनों के स्वामित्व और नियंत्रण में है जो वेतन या मजदूरी के भुगतान के आधार पर व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, नियोक्ता हारा उक्त दायित्व का निर्वहन विहित तरीके से किया जायेगा।

परंतु यह भी कि, क्या वेतन या मजदूरी अर्जित करने वाला कोई व्यक्ति-

- (क) अनुसूची की प्रविष्टि 1 के अलावा एक से अधिक प्रविष्टियों द्वारा आच्छादित है तथा ऐसे किसी अन्य प्रविष्टि के अंतर्गत कर की दर उस अनुसूची में प्रविष्टि 1 के अधीन कर की दर से अधिक है; अथवा
- (ख) एक साथ एक से अधिक नियोक्ताओं के रोजगार से जुड़ा हुआ हो; और यदि ऐसा व्यक्ति अपने नियोक्ता अथवा नियोक्तागण को विहित प्रारुप के प्रमाणपत्र में घोषणा करता है कि अन्य बातों के साथ—साथ, कि धारा 7 के उप—नियम (2) के अंतर्गत वह नामांकित हो जाएगा तथा कर का स्वयं भुगतान करेगा; ऐसे व्यक्ति का नियोक्ता या नियोक्तागण उसके वेतन अथवा ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाले पारिश्रमिक से कर की कटौती नहीं करेगा, और ऐसे नियोक्ता अथवा नियोक्तागण, मामले के आवश्यकतानुसार ऐसे व्यक्ति की ओर से कर का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं होंगे।

- 6. कर का भुगतान प्रत्येक तिमाही में उनके नामांकन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार निर्धारिति अथवा करदाता के बकाया कर की राष्ट्रि का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा;—
- (क) 30 जून के पूर्व; ऐसे करदाता के मामले में जो वर्ष के प्रारंभ में ही नामांकित हो जाता है अथवा वर्ष में 31 मई को या इसके पूर्व नामांकित होता है;
- (ख) नामांकन की तिथि से एक माह के भीतर, ऐसे करदाता के मामले में जो वर्ष में 31 मई के पश्चात नामांकित होते हैं, विहित तरीके से तथा
- (ग) ऐसे अन्य सभी कर दाताओं के लिए, अनुसूची की प्रविष्टि 1 में उल्लेखित कर दाताओं को छोड़कर, तिमाही समाप्त होने के बाद माह के पंद्रहवें दिवस तक। व्याख्या इस अधिनियम के तहत भुगतान किए जाने वाले कर, जो अनुसूची के साथ पठित है, को मासिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा, लेकिन तिमाही के समाप्त हो जाने के उपरांत पंद्रहवें दिवस तक भुगतान किया जा सकेगा।
- 7. निबंधन एवं नामांकन (1) उप—धारा (2) के अध्याधीन, प्रत्येक करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) धारा 3 के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु बाध्य है, विहित प्राधिकारी से विहित प्रारुप में निबंधन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (2) धारा 5 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, (वेतन अथवा पारिश्रमिक का अर्जन करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, जिसके संबंध में नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाना है) इस अधिनियम के तहत कर भुगतान करने हेतु बाध्य है, वह भी नामांकन का प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी से विहित प्रारुप में प्राप्त करेगा।
- (3) प्रत्येक करदाता को इस धारा के अंतर्गत निम्नानुसार निबंधन अथवा नामांकन का प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा, —
 - (क) इस अधिनियम के जारी होने के नब्बे दिनों के भीतर; अथवा
- (ख) यदि इसके जारी होने की तिथि में वह किसी पेशे, व्यापार, आजीविका अथवा रोजगार से नहीं जुड़ा है, उसके कर भुगतान करने योग्य होने के साठ दिनों के भीतर;

विहित प्राधिकारी के समक्ष विहित प्रारुप में निबंधन अथवा नामांकन प्रमाणपत्र प्राप्त करने अथवा आवश्यकतानुसार संशोधित नामांकन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करना होगा, तथा विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, आवश्यकतानुसार जाँच के उपरान्त, यदि आवेदन पत्र सभी रूप में सही हो, उसे निबंधन अथवा नामांकन प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

- (4) विहित प्राधिकारी, नामांकन के प्रत्येक प्रमाणपत्र में प्रथम अनुसूची के अनुसार करदाता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर की राशि का तथा इसके भुगतान करने की तिथि का उल्लेख करेगा।
- (5) ऐसे मामले में जहाँ करदाता जिसे निबंधन अथवा नामांकन करना अनिवार्य है, जानबूझ कर ऐसे प्रमाणपत्र हेतु नियत अविध में आवेदन करने में चूक जाता है, उप धारा (3) में दिए अनुसार, विहित प्राधिकारी, उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर अर्थदंड अधिरोपित करेगा, जो किसी नियोक्ता के मामले में विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए रुपए दस से कम नहीं तथा रुपए बीस से अधिक नहीं होगा, तथा अन्य के मामले में प्रत्येक दिन की देरी के लिए रुपए पाँच से अधिक नहीं होगा।
- (6) ऐसे मामले में जहाँ इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन में करदाता द्वारा, जिसे निबंधन अथवा नामांकन कराना अनिवार्य है, जानबूझ कर गलत जानकारी दी गई है। विहित प्राधिकारी द्वारा उसे सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त उस पर शास्ति लगा सकेगा, जो एक सौ रुपए से कम नहीं तथा एक हजार रुपए से अधिक नहीं होगा।
- 8. विवरणी (1) प्रत्येक करदाता जो इस अधिनियम के अंतर्गत निबंधित है, विहित प्राधिकारी को विहित तिथि तक विहित अवधि अथवा अवधियों के लिए वास्तविक, सही एवं पूर्ण विवरणी, ऐसे विहित प्रारुप में प्रस्तुत करेगा, जिसमें उसके द्वारा दिए गए वेतन या पारिश्रमिक तथा उसके संबंध में कटौती की गई कर की राशि का उल्लेख होगा।

- (2) ऐसे प्रत्येक विवरणी में दर्शाए गए कर की पूर्ण राशि के भुगतान के साक्ष्य रूप में विवरणी के साथ कोषागार के चालान को संलग्न करना होगा, तथा भुगतान के ऐसे साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किए गए विवरणी को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया नहीं माना जाएगा।
- (3) ऐसे मामले में जहाँ करदाता बिना किसी तर्कसंगत कारण के ऐसे विवरणी को नियत अवधि में प्रस्तुत करने से चूक जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा, जो विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए रुपए पचास से कम नहीं तथा रुपए पाँच सौ से अधिक नहीं होगा।
- 9. करदाता का कर—निर्धारण (1) यदि विहित प्राधिकारी संतुष्ट है कि करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई विवरणी सत्य, सही और पूर्ण है, वह स्वनिर्धारण के अनुसार विवरणी को स्वीकार कर सकता है। यदि विवरणी से यह प्रतीत होता है कि वह असत्य या अपूर्ण है, तथा उसके द्वारा समर्पित किए गए विवरणी की सत्यता अथवा सम्पूर्णता प्रमाणित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा आवश्यकतानुसार जाँच करने के बाद, अपने सर्वोत्तम स्वविवेक से ऐसे करदाता का कर—निर्धारण कर सकता है।
- (2) किसी करदाता का कर-निर्धारण चार वर्षों के अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से किया जाएगा, जो कर-निर्धारण से संबंधित वर्ष की समाप्ति से प्रारंभ होगा।
- (3) ऐसे मामले में जहाँ करदाता स्वयं को निबंधित करने से चूक जाता है अथवा निबंधित होने पर, विवरणी प्रस्तुत करने में चूक जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त, तथा आवश्यकतानुसार जाँच करने के बाद, अपने स्वविवेक से कर-निर्धारण हेतु आदेश जारी कर सकता है।
- (4) ऐसे रूप में किए गए कर-निर्धारण की राशि का भुगतान, विहित प्राधिकारी से माँग आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर करना होगा।
- (5) उप—धारा (1) के अंतर्गत कर—निर्धारण के क्रम में, यदि विहित प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होता है कि छूटा हुआ कर—निर्धारण जानबूझकर जानकारी नहीं देने के कारण अथवा कर—दाता द्वारा कर—अपवंचना की मंशा से किया गया है, विहित प्राधिकारी कर—निर्धारण के कर के अतिरिक्त शास्ति के भुगतान हेतु अनुदेशित कर सकता है जो कि ऐसे कुल निर्धारित कर की राशि के डेढ़ गुना से कम नहीं और कुल निर्धारित कर की राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह कि इस उप—धारा के अंतर्गत ऐसे किसी भी प्रकार का शास्ति अधिरोपित नहीं किया जाएगा जबतक शास्ति अधिरोपण के पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

10. छूट गए अथवा अव—निर्धारित कर—निर्धारण एवं लेखा—परीक्षा संप्रेक्षण — (1) यदि किसी कारणवश इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर छूट गया हो अथवा अल्परूप से कर—निर्धारण किया गया हो अथवा निर्धारित दर से कम दर पर कर का निर्धारण किया गया हो, विहित प्राधिकारी, वाणिज्य—कर आयुक्त को छोड़कर कर—निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार वर्षों के भीतर, किसी भी समय कर—निर्धारण अथवा पुर्नकर निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर मामले के अनुसार अपने सर्वोत्तम स्वविवेक से संबंधित कर—दाता को सूचना देने के उपरान्त तथा आवश्यकतानुसार मामले की जाँच के बाद कर का पुर्ननिर्धारण कर सकता है।

परन्तु यह कि, आयुक्त युक्तियुक्त आधार के रहने पर संतुष्ट होने के उपरांत उपर्युक्त

चार वर्षों को अतिरिक्त दो वर्षों के लिए बढ़ा सकता है।

परन्तु यह भी कि अधिरोपित किया गया कर उस दर से प्रमारित किया जाएगा जो छूट गए कर—निर्धारण नहीं होने की दशा में होता, अथवा मामले के अनुसार, अव—निर्धारित नहीं किया गया होता अथवा निर्धारित कर के दर से कम के दर में निर्धारित नहीं किया गया होता।

(2) ऐसे मामले में जहाँ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी कर—निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण के संबंध में संप्रेक्षित किया गया हो, तथा विहित प्राधिकारी इस उक्त संप्रेक्षण से संतुष्ट हो, वह मामले के अनुसार जिस पर संप्रेक्षण किया गया है, करदाता के कर—निर्धारण के पुननिर्धारण की कार्रवाई करेगा।

परन्तु यह कि इस धारा के अंतर्गत, करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना, इस धारा के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

11. कर कटौती अथवा मुगतान में चूक करने के परिणाम — (1) यदि कोई करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) वेतन अथवा पारिश्रमिक के भुगतान के समय कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के उपरान्त, इस अधिनियम के तहत आवश्यक कर का भुगतान करने में चुक जाता है, तो वह —

(क) कर के मामले में संदाय में व्यतिक्रम किया करदाता माना जाएगा।

(ख) प्रत्येक माह तथा उसके अंश पर नहीं चुकाए गए कर राशि पर विहित दर से सूद

के भुगतान का दायी होगा, जिस अवधि का कर बकाया रह गया है।

(2) यदि कोई नामांकित व्यक्ति इस अधिनियम के तहत निर्धारित कर का भुगतान करने से चूक जाता है, वह इसकी उप—धारा (1) में निर्दिष्ट दर एवं रीति से सूद का भुगतान करने हेतु बाध्य होगा।

12. कर का भुगतान नहीं करने हेतु शास्ति — यदि किसी करदाता द्वारा बिना किसी तर्कसंगत कारण के कर के भुगतान के व्यतिक्रम होती है अथवा इससे संबंधित माँगपत्र में दिए गए समयावधि के मीतर भुगतान नहीं किया जाता है, विहित प्राधिकारी, उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के युक्तिगत अवसर प्रदान करने के उपरान्त, उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो कि देय कर की कुल राशि का पंद्रह प्रतिशत से कम नहीं तथा पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

जक्त शास्ति उप-धारा (1) अथवा धारा 11 की उप-धारा (2) के अंतर्गत भुगतान योग्य सूद के अतिरिक्त होगा।

13. कर आदि की वसूली — इस अधिनियम के अंतर्गत कर का बकाया, शास्ति, सूद अथवा अन्य कोई देय राशि की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

14. अपील — (1) कोई करदाता (जो राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट या व्यथित होता है, उस आदेश पारित होने की तिथि से पैंतालिस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करेगा।

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समुचित कारणों को देखते हुए किसी अपील को उपरोक्त अवधि के समाप्त होने के पैंतालिस दिनों के उपरांत भी स्वीकृत किया जा सकेगा।

- (2) ऐसे किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा, जब तक की अपील से संबंधित कर एवं सूद सहित शास्ति, यदि कोई हो तो, के 25% का भुगतान नहीं कर दिया गया हो।
- (3) अपील इस प्रकार का होगा अथवा इस प्रकार से विहित रीति से विहित प्रपत्र में दाखिल होगा तथा इसके साथ विवादित कर, शास्ति अथवा सूद की राशि की दो प्रतिशत की दर से गणना किए गए शुल्क संलग्न किया गया हो, जो कम से कम रुपए पचास तथा अधिकतम रुपए एक हजार तक होगा।
- (4) अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं की शर्त के तहत:—
- (क) कर-निर्धारण, शास्ति अथवा सूद की, मामले के अनुसार, संपुष्टि, कमी, बढ़ोतरी, अथवा रद्द या तदनुसार संशोधित कर सकेगा;
- (ख) कर-निर्धारण, शास्ति अथवा सूद को, मामले के अनुसार रद्द कर सकता है और विहित प्राधिकारी को आगे की जाँच कर, एक नया आदेश पारित करने के लिए अनुदेशित कर सकता है; अथवा
 - (ग) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत हो।
- (5) उप—धारा (4) के अंतर्गत आदेश पारित करने के पूर्व अपीलीय प्राधिकारी ऐसी जाँच कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत होता हो अथवा जाँच के लिए अपने किसी अधीनस्थ विहित प्राधिकारी को किसी विशेष बिन्दु या बिन्दुओं पर प्रतिवेदित करने हेतु मामले को प्रतिप्रेषित कर सकता है।

- (6) इस धारा के अधीन अपींल पर पारित किए गए प्रत्येक आदेश, धारा 15 के प्रावधानों के अंतर्गत, अंतिम होंगे।
- 15. पुनरीक्षण (1) आयुक्त चाहे तो, अपने स्वविवेक से अथवा उसे आवेदन प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आवेश की कार्यवाही के अभिलेखों को मंगा सकता है तथा उसकी जींच कर सकता है, तथा मामले के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी अपने आप को संतुष्ट करने के उद्देश्य से औचित्य की वैद्यता के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित प्रतीत होता हो।
- (2) उप—धारा (1) के अंतर्गत ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह संबंधित आदेश की प्राप्ति के चार माह के भीतर प्रस्तुत नहीं किया गया हो तथा कुल विवादित कर अथवा अर्थदंड की राशि पर दो प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान के साथ संलग्न नहीं किया गया हो, जो कम से कम रुपए एक सौ और अधिकतम रुपए दो हजार तक होगा।
- (3) पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो करदाता को आदेश तामिल करने की तिथि से चार वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- (4) इस धारा के अंतर्गत ऐसे किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे करदाता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।
- (5) जहाँ इस धारा के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु आवेदन को आयुक्त द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, वह इसकी अस्वीकृति संबंधित कारणों का प्रलेखन करेगा।
- (6) जहाँ इस अधिनियम की धारा 14 एवं इस धारा की उप—धारा (1) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया हो, न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकेंगा।
- 16. लेखा (1) यदि विहित प्राधिकारी इस तथ्य पर संतुष्ट है कि लेखा—बही तथा अन्य दस्तावेजों को करदाता द्वारा उसके पेशे के सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अनुरक्षित नहीं किया गया है तथा जिससे अधिनियम के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणियों का सत्यापन करना पर्याप्त नहीं है, विहित प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह नियोक्ता को लेखा— बही अथवा अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण हेतु इस रीति से अनुदेशित करे, जैसा कि लिखित रूप से निर्देशित कर सकता है, तथा इसके बाद तद्नुसार करदाता द्वारा ऐसे बहियों व अन्य दस्तावेतों का अनुरक्षण किया जाएगा।
- (2) जहाँ किसी करदाता द्वारा जानबूझकर लेखा—बही का अनुरक्षण करने में चूक होती है, जैसा कि उप—धारा (1) में निर्दिष्ट है, विहित प्राधिकारी उसे सुने जाने के तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के उपरान्त, शास्ति लगा सकता है जो चूक के प्रति दिन के आधार पर रुपए पचास से अधिक नहीं होगा।
- 17. विशेष रीति (1) विधि या एकरारनामें में किसी भी प्रकार का समावेश नहीं होते हुए भी अथवा इसके विपरीत, आयुक्त अथवा विहित प्राधिकारी, लिखित सूचना के द्वारा, करदाता को विहित प्राधिकारी द्वारा विदित उसके पिछले पते पर इसकी एक प्रति अग्रेषित करते हुए, ऐसे व्यक्ति को निर्गत कर सकता है, जो
- (क) कोई व्यक्ति जिसके समक्ष कोई राशि बकाया है, अथवा किसी करदाता के समक्ष बकाया हो सकता है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत मांग—पत्र निर्गत किया गया हो; अथवा
- (ख) कोई व्यक्ति जो करदाता के खाते पर धन रखता हो अथवा धन रख सकता हो, विहित प्राधिकारी को भुगतान करने हेतु, या तो तत्काल आधार पर धन के बकाया होने अथवा धारण करने अथवा निर्दिष्ट सूचना के दिए समय में (लेकिन धन के बकाया होने के पूर्व नहीं अथवा उपरोक्तानुसार धारण पर) जो इस अधिनियम के अंतर्गत करदाता द्वारा कर के बकाया, शास्ति या सूद के रूप में अदा करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा पूरे राशि के बराबर होने या कम हो।

व्याख्याः इस अधिनियम के उद्देश्य से करदाता का बकाया राशि अथवा धन के धारण, अथवा किसी व्यक्ति द्वारा करदाता के खाते के धारण से, ऐसे दावों की गणना किसी ऐसे दावों, जो कर दाता द्वारा ऐसे व्यक्ति को भुगतान देय हो विधिपूर्ण कटौती के उपरांत की जाएगी।

- (2) आयुक्त अथवा विहित प्राधिकारी चाहे तो ऐसे किसी सूचना को संशोधित अथवा रद कर सकता है, अथवा उसकी अवधि को आगे बढ़ा सकता है जो भुगतान के लिए उस सूचना के अनुक्रम में निर्दिष्ट की गई हो।
- (3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन सूचना के अनुपालन में भुगतान करता है, वह करदाता के प्राधिकार के अंतर्गत भुगतान किया हुआ माना जाएगा तथा विहित प्राधिकारी की पावित ऐसे व्यक्ति के सभी दायित्वों के अच्छा एवं पर्याप्त निर्वह्न उस पावित में संदर्भित राशि की सीमा तक माना जाएगा।
- (4) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा में संदर्भित सूचना की प्राप्ति के उपरान्त करदाता के दायित्वों का निर्वहन करता है, वह विहित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निर्वहित दायित्व की सीमा तक या इस अधिनियम के अधीन कर दाता के कर—दायित्व की सीमा तक या जो भी कम हो दायी होगा।
- (5) कोई व्यक्ति जिसे इस धारा के अंतर्गत कोई सूचना / नोटिस प्रेषित की गई हो, विहित प्राधिकारी को संतुष्ट करता है कि मांग की गई राशि अथवा इसका कोई हिस्सा उसके द्वारा करदाता को देय नहीं है, अथवा यह कि वह किसी भी रूप में करदाता के लिए धन का धारण नहीं करता है, इस धारा के अधीन, ऐसा व्यक्ति उक्त राशि अथवा उसके हिस्से को विहित प्राधिकारी के समक्ष भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं माना जाएगा।
- (6) इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी राशि जो किसी व्यक्ति द्वारा विहित प्राधिकारी को भुगतान किया जाना है अथवा जिसके लिए विहित प्राधिकारी को भुगतान हेतु व्यक्तिगत तौर पर बाध्य है, यदि यह भुगतान नहीं किया गया है, भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय है।
- 18. कर की वसूली जहाँ नियोक्ता के व्यापार, आजीविका आदि का हस्तानांतरित किया गया है— जहाँ करवाता के वृति, व्यापार, आजीविका अथवा के रोजगार का स्वामित्व जो कर देने हेतु वायी है स्थानांतरित हो गया हो, कोई कर, शास्ति अथवा सूद अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत देय अन्य राशि, ऐसे व्यवसाय के संबंध में तथा स्थानांतरण के समय भुगतान नहीं किए गए बकाया के लिए, बिना किसी पूर्वाग्रह से इसकी वसूली की कार्रवाई स्थानांतरणकर्ता से की जानी चाहिए, जैसा कि वह ही मान्य करवाता हो जिसके द्वारा कर, शास्ति अथवा सूद अथवा अन्य राशि का भुगतान किया जाना हो।
- 19. लेखों और दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण एवं निरीक्षण तथा परिसर की तलाशी— इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी विडित प्राधिकारी, ऐसे किसी भी परिसर का निरीक्षण एवं तलाशी कर सकता है, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत मान्य किसी प्रकार का वृति, व्यापार, आजीविका या रोजगार का संचालन किया जाता हो अथवा संचालन किए जाने का संदेह हो तथा लेखों, पंजियों, लेखा बहीयों अथवा इससे संबंधित दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण और निरीक्षण आवश्यक हो, आवश्यकतानुसार ऐसे लेखों, बहीयों, पंजियों अथवा दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकता है।

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी उक्त परिसर से किसी बही, पंजी, लेखा अथवा दस्तावेज को हटाता है, अथवा वह उस स्थान के प्रभारी को वहां से हटाये गए बहियों, पंजियों, लेखों अथवा दस्तावेजों की पावति देगा है, और इसे आवश्यकतानुसार परीक्षण अथवा अभियोजन के उद्देश्य से केवल वांछित अवधि के लिए रखेगा।

20. आधिक्य की कर-वापसी — विहित प्राधिकारी, ऐसे सभी कर की राशि, शास्ति, सूद अथवा अन्य राशि के आधिक्य की कर-वापसी, करदाता को करेगा, यदि कोई हो, जो करदाता के देयता से अधिक हो। कर-वापसी को या तो नगद आधार पर, करदाता के कर में से आधिक्य की कटौती के विकल्प के अनुसार ऐसे कर, शास्ति, सूद अथवा अन्य राशि के आधिक्य को जो अन्य किसी अवधि में देय हो, करेगा।

परन्तु यह कि विहित प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ऐसे आधिक्य की किसी बकाया राशि को, जिसके लिए धारा 9 के अंतर्गत नोटिस प्रदान किया गया हो, वसूली के लिए प्रयोग करेगा और शेष राशि यदि कोई हो, कर वापसी करेगा।

21. अपराध एवं शास्ति — कोई भी करदाता जो इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अधीन निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन में बिना किसी पर्याप्त कारणों से चूक करता है, अपराध सिद्धि पर, शास्ति के साथ दंडित किया जाएगा, जो रुपए पाँच सौ से कम नहीं होगा लेकिन रुपए पाँच हजार से अधिक नहीं होगा, तथा जब अपराध लगातार प्रकृति का हो तब इस हेतु शास्ति दोष के लगातार दिवसों के लिए प्रतिदिन रुपए दस से कम नहीं होगा तथा यह रुपए बीस से अधिक नहीं होगा।

22. कंपनियों द्वारा अपराध — (1) जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो, ऐसे सभी व्यक्ति जो अपराध होने के दौरान प्रभारी हों अथवा ऐसे कंपनी तथा इसके साथ—साथ उसके व्यवसाय के लिए जिम्मेदार हों, उन्हें इस अपराध हेतु दोषी माना जाएगा तथा इस हेतु उनके विरुद्ध अभियोजन करने तथा दंडित किए जाने के लिए बाध्य होगा।

परन्तु यह कि इस धारा के अनुसार ऐसे व्यक्ति को दंडित करने हेतु मान्य नहीं किया जा सकता, यदि वह प्रमाणित करे कि ऐसा अपराध उसकी जानकारी के बगैर किया गया हो अथवा उसने उक्त अपराध से बचने के लिए आवश्यक तत्परता बरती हो।

- (2) उप—धारा (1) के प्रावधानों के रहते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत जहाँ अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तथा यह साबित होता है कि किए गए अपराध की मंशा. सहमति के साथ किया गया है अथवा किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया हो, कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी, ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को इस अपराध हेतु दोषी माना जाएगा तथा इस हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही करने एवं तद्नुसार दंडित किए जाने के लिए बाध्य होगा।
- (क) ''कंपनी'' का तात्पर्य है कोई भी निकाय निगमित तथा जिसमें कोई विदेशी कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य सहयोगी शामिल हो; तथा
- (ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य है फर्म में साझेदार।

 23. कार्यवाही के स्थानांतरण की शक्ति— आयुक्त, व्यक्ति को सुने जाने के तर्कसंगत अवसर प्रदान करने के उपरान्त, जहाँ तक ऐसा करना आवश्यक हो, तथा उसके कारणों का प्रलेखन करने के बाद, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही के स्थानांतरण के लिखित आदेश के रूप में, उसके द्वारा किसी अन्य अधिकारी को, तथा इसी प्रकार ऐसे किसी भी कार्यवाही (इस धारा के अंतर्गत कार्यवाही में किसी अधिकारी के समक्ष लंबित अथवा पूर्व में स्थानांतरित कार्यवाही भी शामिल हैं) को किसी भी अधिकारी से किसी अन्य अधिकारी को या स्वयं को स्थानांतरित कर सकता है।

व्याख्याः इस खंड में करदाता के संबंध में प्रयुक्त शब्द "कार्यवाही" को किसी अन्य आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है, इसका तात्पर्य है इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष से संबंधित वह सभी कार्यवाहियों, जो ऐसे आदेश पारित होने की तिथि में लंबित हो अथवा उस तिथि को या उसके पूर्व ही पूर्ण किए जा चुके हों, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों को शामिल करता है जो करदाता के संबंध में किसी वर्ष से जुड़े ऐसे आदेश जारी होने की तिथि अथवा इसके बाद प्रारंभ किए गए हों।

- 24. अपराधों का प्रशमन (1) विहित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध हेतु कार्यवाही के संस्थापन करने के पूर्व अथवा उसके बाद, किसी भी करदाता को जिसपर अपराध का दोषारोपण किया गया हो, ऐसी राशि का भुगतान करने के उपरान्त, प्रशमन प्रदान कर सकता है, जो वसूलनीय कर राशि के दोगुणा से अधिक नहीं होगी।
- (2) उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई ऐसी राशि का भुगतान करने पर, उस अपराध के संबंध में अग्रेतर कोई भी कार्यवाही उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जा सकेगी।
- (3) उप—धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश अथवा प्रलेखित कोई कार्यवाही अंतिम होगी तथा इसके उपरान्त इसमें संशोधन हेतु किसी भी अपील या पुनरीक्षण हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा।

- 25. हाज़िरी आदि कार्यान्वित करने की शक्ति— आयुक्त तथा विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत वही अधिकार होंगे जो न्यायालय के समक्ष कोड आफ सिविल प्रोसिजर. 1908 के अधीन निहित हैं, जहाँ मामले की सुनवाई के दौरान किसी भी व्यक्ति को शपथ पर अथवा अभिपुष्टि किए जाने पर हाज़िर होने तथा जाँच के अधीन कार्यान्वित करने अथवा किसी दस्तावेज या लेखा को प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने की शक्ति है।
- 26. न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन— इस अधिनियम तथा इसके तहत निर्धारित नियमों के अधीन कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी मामले, और रद्द करने या संशोधित करने की कार्यवाही, अथवा किसी कर—निर्धारण, आदेश अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा जारी/लिए गए निर्णय की वैद्यता पर सद्भावना, अथवा इसके कार्यक्षेत्र में आने वाले किसी मामले के संबंध में प्रश्न नहीं करेगा।
- 27. सद्भाव विचार से की गई कार्रवाई का संरक्षण— इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा इसके अनुसार जारी किसी नियम या आदेश के अनुसार सरकार अथवा विहित प्राधिकारी अथवा ऐसी कार्रवाई हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष ऐसा कोई भी मामला, अभियोजन, अथवा अन्य कार्यवाही को नहीं रखा जाएगा।
- 28. प्रत्यायोजन की शक्ति— आयुक्त, ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्याधीन जैसा कि सरकार सामान्यतया या विशिष्ट आदेश के अधिरोपण पर, लिखित रूप में अपने अधीनस्थ, विहित प्राधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत सामान्य तौर पर अथवा विशेष मामलों और वर्गों के तौर पर अपनी किसी या सभी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- 29. अनुसूची को संशोधन करने की शक्ति— (1) सरकार, किसी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की किसी अनुसूची के किसी भी प्रविष्टि या मद को संशोधित, परिवर्तित, जोड़ या विलोपित कर सकती है।
- (2) इस अधिनियम में किए गए उक्त अनुसूची में उल्लेखित किसी मद अथवा प्रविष्टि के सभी संदर्भ अनुसूची में संबंधित मद के अर्थ होंगे जिसे इस घारा में प्रदत शक्तियों के आधार पर संशोधित किया गया है।
- 30. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा वृतिकर की उगाही नहीं करना— स्थानीय प्राधिकारी के गठन अथवा स्थापना के अभिशासन के लिए किसी भी प्रकार के कार्यान्वयन के रहते हुए भी, किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा, अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के उपरान्त, किसी भी प्रकार के पेशे, व्यापार, आजीविका अथवा रोजगार पर वृत्तिकर की उगाही नहीं करेगा।
- 31. नियमावली बनाने की शक्ति— (1) सरकार, किसी अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के सभी अथवा कुछ उद्देश्यों के संचालन हेतु नियम का निर्धारण कर सकती है।
- (2) विशेष रूप में तथा पूर्ववर्ती शक्तियों के बिना किसी पूर्वाग्रह से, किसी आवेदन करने के संबंध में प्रपन्नों की आपूर्ति, प्रमाणपत्रों के प्रदान तथा पुनरीक्षण हेतु अपील या आवेदनों पर मुगतेय शुल्क हेतु नियम का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है तथा दायर किए गए दस्तावेजों और आदेशों की प्रमाणित प्रतियों की प्राप्ति हेतु आवेदनों पर भी शुल्क निर्धारण कर सकती है।
- (3) इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों को इसके गठन के छः माह के भीतर, राज्य की विधान सभा के समक्ष, उसके सत्र के दौरान, अथवा सत्र के नहीं चलने पर चौदह दिनों की अविध समाप्त होने के तुरंत बाद वाले सत्र में रखा जाएगा, जो एक या दो क्रमशः सत्रों में सत्र के समाप्त होने के पूर्व विधान सभा द्वारा किसी संशोधन अथवा किसी नियम को निष्प्रभाव किए जाने के स्वीकृति पर, वह नियम, उसके संशोधन अथवा निष्प्रभाव की अधिसूचना की तिथि से, मामले के अनुसार संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी माना जाएगा। ऐसा किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निष्प्रभाव पूर्वाग्रह के बिना होगा तथा नियम के अधीन पूर्व में किए गए कोई कार्य उसकी वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।
- 52. निरसन और व्यावृतियाँ— (1) अंगीकृत पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उपधारा (1) के खंड (i) के साथ पठित धारा 177, 178, 179 तथा अंगीकृत बिहार नगर—पालिका अधिनियम, 1922 की चौथी अनुसूची के अध्याय IVA के साथ पठित गया तथा

इसके अनुसार गठित नियमों और निर्गत अधिसूचनाओं को, इस अधिनियम के जारी होने के दिनांक से निरसित किया जाता है, तथा प्रभावी तिथि के उपरान्त इसे "निरसित अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

(2) निरसन से -

- (क) निरसन के प्रभावी होने के समय कोई बात जो प्रवृत्त या विद्यमान नहीं है, वह पुनः प्रवर्तित नहीं होगी, या
- (ख) निरसित अधिनियमों के अंतर्गत अर्जित, प्रोदभूत या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, बाध्यता या दायित्व जो निर्धारी तिथि के तत्काल पूर्व की अवधि में किसी कार्य के फलस्वरूप घटित हुआ हो, प्रभावित नहीं होगा, या

(ग) निरसित अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के

संबंध में उपगत या अधिरोपित कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड प्रभावित नहीं होगा, या

- (घ) निरिसत अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित कोई अन्वेषण, जांच, निर्धारण, कार्यवाही, कोई अन्य विधिक कार्यवाही या उपचार प्रभावित नहीं होगा और उपरोक्तानुसार किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अथवा निरिसत अधिनियमों के अंतर्गत संस्थित, जारी की गई या प्रवर्तित किसी कार्यवाही या उपचार को इस अधिनियम के तत्सम उपबंधों के अधीन संस्थित, जारी किया गया या प्रवर्तित माना जाएगा।
- (3) निरसित अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए, सभी नियम, आदेश, की गई नियुक्तियाँ एवं प्रकाशित अधिसूचनाएँ, प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रदत्त शक्तियाँ एवं अन्य इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अन्तर्गत क्रमिक रूप से निर्मित, प्रकाशित, प्रदत्त अथवा किए हुए माने जाएंगें जब तक कि उक्त नियम और अधिसूचनाएँ इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो अथवा परिवर्तित, अधिक्रमित अथवा रदद नहीं किये गये हों।
- (4) किसी नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में निरसित अधिनियमों की किसी धारा के बारे में कोई निर्देश इस अधिनियम की संगत धारा के लिए निर्देशित करना माना जाएगा, जब तक कि उक्त नियम, अधिसूचना, विनियम या परिपत्र में आवश्यक संशोधन नहीं किये जाते।
- (5) इस अधिनियम में उपबंधित परिसीमा उत्तरवर्ती रूप से लागू होगी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पहले घटित होने वाली सभी घटनाएं और उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे निरसित अधिनियमों में उपबंधित परिसीमा या अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।
- 33. विधिमान्यकरण एवं विमुक्ति (1) कोई करदाता जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत प्रभार का भुगतान करने के लिए लगातार जिम्मेदार होता, यदि यह अधिनियम लागू नहीं होता, इस अधिनियम में संलग्न की गई अनुसूची के अंतर्गत कर के भुगतान के लिए मान्य होगा।
- (2) इस अधिनियम में कहीं भी शामिल रहते हुए भी -
- (क) कोई करदाता जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हो, निर्धारी दिवस की अवधि के होने पर भी, जिसके लिए वह जिम्मेदार हैं, विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो ऐसी निर्धारी दिवस पर प्रारंभ होता हो तथा ऐसे निर्धारी दिवस की समाप्ति पर, इस अधिनियम के अंतर्गत भुगतान किए जाने वाले कर के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो निर्धारी दिन के तुरंत पहले दिवस में कर का भुगतान निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करता है तथा एक पृथक विवरणी शेष बची अवधि के संबंध में प्रस्तुत करेगा।

- (ख) कोई करदाता, जो निरसित अधिनियम के अंतर्गत कर का भुगतान करने हेतु अब जिम्मेदार नहीं है तथा जिसके लेखा, पंजियों अथवा दस्तावेजों को जब्ती किया गया हो, निर्धारी दिवस अथवा इसके बाद भी निरसित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाए रखा जाएगा;
- (ग) निरिसत अधिनियम तथा उसके अधीन नियमावली में विहित सभी प्रपत्र जो निर्धारी दिवस के तुरंत पूर्व दिन में लागू थे, ऐसे निर्धारी दिवस के प्रभाव के दिन से लागू होंगे तथा इस उद्देश्य हेतु आवश्यक परिवर्तन के सिहत जिसके लिए वे प्रयुक्त किए गए थे, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के माध्यम से निर्देशित किए जाने तक, तथा ऐसे प्रपत्नों को राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर, उसकी ओर से अधिसूचना के द्वारा इसके उपयोग के समाप्त किए जाने तक मान्य होगा;
- (घ) निरिसत अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमावली के अन्तर्गत निर्धारी तिथि के पूर्व कोई विहित प्रपन्न जो करदाता द्वारा या करदाता को, विहित प्राधिकारी से प्राप्य या प्राप्त हो या कोई घोषणापत्र जो करदाता द्वारा देय हो या दिया गया हो या देय कर, की वैधता निर्धारी तिथि के बाद भी वैध रहेगी जहाँ विहित प्रपन्न प्राप्त किया गया है या ऐसे विहित प्रपन्न दाखिल किए गए हैं।
- (इ) निरिसत अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण, पुनिविलोकन अथवा कोई संदर्भ से संबंधित आवेदन जो निर्धारी दिवस के पूर्व जारी किसी आदेश से जुड़ा हुआ हो, अथवा ऐसे निर्धारी दिवस के पूर्व विहित प्रपत्र के लिए कोई आवेदन ऐसे निर्धारित तिथि के पूर्व किसी अविध के लिए अथवा निर्धारी दिवस के पूर्व लंबित मामले को निरिसत अधिनियम के प्रावधानों के तद्नुसार निष्पादित किया जाएगा;
- (च) यदि निरसित अधिनियम के अंतर्गत विर्निदिष्ट प्राधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी जिसके पास इस संबंध में विशिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ निष्टित हैं, निरसित अधिनियम के अधीन अथवा उसके अपने स्वविवेक से, निर्धारी दिवस के पूर्व जारी किसी आदेश की समीक्षा अथवा पुनरीक्षण निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तद्नुरूप कर सकेगा;
- (छ) निरसित किया गया कोई भी कर अथवा भुगतान योग्य कर के संबंध में निरसित अधिनियम के अंतर्गत प्रभारित कोई शास्ति, जो निर्धारित तिथि के पूर्व किया गया हो, निरसित अधिनियम के प्रावधानों के तद्नुरूप भुगतेय होगा अथवा वसूलनीय होगा।

34. विमुक्त करने की शक्तियाँ -

जहाँ राज्य सरकार का यह अभिमत हो कि लोकहित में अथवा किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन हो, तो वह अधिसूचना के माध्यम से किसी भी व्यक्तियों के श्रेणी या किसी नियोजक या नियोजक की श्रेणी को, वैसी शत्तों के अधीन, यदि कोई हो तो, जो उक्त अधिसूचना में वर्णित हो, इस अधिनियम के समस्त अथवा किसी भी प्रावधानों के प्रभाव से वैसी अविध हेतु, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, विमुक्त कर सकती है।

35. कठिनाईयों के निवारण की शक्तियाँ -

यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई सामने आती है, तो राज्य सरकार अवसर के आवश्यकतानुसार आदेश देकर उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती है वशर्तों वे इस अधिनियम अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हों।

झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर विधेयक, 2011 अनुसूची (3 धारा को देखें)

प्रविष्टि संख्या	करदाता का वर्ग	कर की दरः प्रतिवर्ष
(1)	(2)	(3)
1	वेतन एवं पारिश्रमिक अर्जक, ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन अथवा पारिश्रमिकः	
	(i) ড. 3,00,000/- तक	शून्य
	(ii) रु. 3,00,001/- से रु. 5,00,000/- तक की श्रेणी	1200/- प्रतिवर्ष
	(iii) रु. 5,00,001/- से रु. 8,00,000/- तक की श्रेणी	1800/- प्रतिवर्ष
	(iv) रु. 8,00,001/- से रु. 10,00,000/-तक की श्रेणी	2100/- प्रतिवर्ष
	(v) रु. 10,00,000/-से ऊपर की श्रेणी	2500/- प्रतिवर्ष
2	विधिक व्यावसायी जिसमें सॉलिसीटर और नोटरी, सार्वजनिक तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक सलाहर से पृथक उल्लेखित किए गए है और कर सलाहकार जो इस व्यावसाय से जुड़े हुए हैं।	कार, जो अनुसूची
	(i) तीन वर्षों तक	शून्य
	(ii) तीन से सात वर्षों तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iii) सात वर्षों से अधिक	2500/- प्रतिवर्ष
3	(i) मुख्य अभिकर्ता, प्रमुख अभिकर्ता, विशेष अभिकर्ता, बीमा अभिकर्ता तथा पर्यवेक्षक अथवा हानि कर—निर्घारक जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम IV) के अधीन पंजीकृत अथवा लाइसेंसीकृत, जिनकी वार्षिक आय रु.40,000/— से कम नहीं है।	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) छोटे अभिकर्ता अथवा यूटीआई अभिकर्ता जिनकी वार्षिक आया रु.20,000/- से कम नहीं है	300/- प्रतिवर्ष
	(iii) राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत पोस्टल अभिकर्ता अथवा मुख्य अभिकर्ता, प्रमुख अभिकर्ता, विशेष अभिकर्ता जिनकी वार्षिक आय रु. 40,000/— से कम नहीं है	2,500/- प्रतिवर्ष
4	प्रतिमूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नीलामीकर्ता, कमीशन अभिकर्ता और डेल क्रेडेअर अभिकर्ता	2,500/- प्रतिवर्ष
5	(a) एस्टेट अभिकर्ता और ब्रोकर्स	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) वेकेदार	
	(i) ठेकेदारों के पंजीयन हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार निम्न वर्ग के अंतर्गत आनेवाले ठेकेदार	
	(a) प्रथम श्रेणी के ठेकेदार	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) द्वितीय श्रेणी के ठेकेदार	2,000/- प्रतिवर
	(c) तृतीय श्रेणी के ठेकेदार	1,000/- प्रतिवर्ष

	(ii) उप-श्रेणी में नहीं आने वाले ठेकेदार (i) उपरोक्त उल्लेखित तथा किए जाने वाले कार्य, वर्ष : गए ठेके हैं	में कार्यान्वित किए
	(a) रुपए दस लाख से कम	1,500/- प्रतिवर
	(b) दस लाख से अधिक	2,500/- प्रतिवर
6	कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत निदेशक (सरकार द्वारा नामित किए हुए को छोड़कर)	2,500/- प्रतिवर
7	झारखंड वैट अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु बाध्य डीलर्स / व्यापारी (मद र गए को छोड़कर) जिनका कुल वार्षिक कारोबार किसी भी वर्ष में निम्न श्रेणी मे आता हो:	नंख्या 18 में दिए
	(a) v. 5,00,000/- तक	शून्य
	(b) も、5,00,001/- 社 も、10,00,000/- तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(c) रु. 10,00,001/- से रु. 25,00,000/- तक	1,500/- प्रतिवर्ष
	(d) रु. 25,00,001/- से रु. 40,00,000/- तक	2,000/- प्रतिवर्ध
	(e) रु. 40,00,000/- से अधिक ·	2,500/- प्रतिवर्ष
	झारखंड वैट अधिनियम, 2005 के तहत पंजीकृत अथवा पंजीकरण हेतु गैर—बाध्य डीलर्स/व्यापारी (मद संख्या 18 में दिए गए को छोड़कर) तथा वे जो उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची के अनुसूची—1 में दिए गए सामानों का व्यापार करते हैं, तथा जिनका वार्षिक कारोबार किसी भी वर्ष में निम्न श्रेणी में आता हो :—	
	(a) v. 3,00,000/- तक	शून्य
	(b) v. 3,00,001/- 社 v. 10,00,000/- तक	1,000/- प्रतिवर्ष
	(c) v. 10,00,001/- · · · · v. 25,00,000/- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,500/- प्रतिवर्ष
	(d) v. 25,00,001/- 甘 v. 40,00,000/- तक	2,000/- प्रतिवर्ष
	(e) ₹. 40,00,000/- से अधिक	2,500/- प्रतिवर्ष
9	कारखानों के अधिमोगी जैसा कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 में निर्दिष्ट किया गया है, जो मद संख्या 7 में शामिल नहीं हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
10	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित स्थापनाओं के नियोक्ता, ऐसी स्थापनाओं के नियं नहीं हैं तथा मद संख्या 7 में शामिल नहीं किए गए हैं	। क्ता जो व्यापारी
	(i) जहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं हैं	शून्य
	(ii) जहाँ 5 से अधिक कर्मचारी कार्यरत नहीं	500/- प्रतिवर्ष
	(iii) जहाँ 5 से अधिक लेकिन 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iv) जहाँ 10 से अधिक लेकिन 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हैं	2,000/- प्रतिवर्ष
	(v) जहाँ 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
11	(a) पेट्रोल/डीज़ल फीलिंग स्टेशन, सर्विस स्टेशन, गैरेज एवं ऑटोमोबाईल वर्कशॉप के स्वामी अथवा पट्टाघारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) चावल मिल, तेल मिल, दाल मिल, लघु स्पात संयंत्र, रि–रोलिंग मिल, फाउन्ड्रीस, टनरीस, स्टोन क्रशर्स, बॉटलिंग इकाई, डिस्टीलरीस, टाईल फैक्टरी, बिस्कुट फैक्टरी, सेरामिक्स, और फार्मास्युटिकल लैब, प्रिंटिंग प्रेस (बिजली के साथ), फूट कैनिंग इकाई के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/प्रतिवर्ष
	(c) नर्सिंग होम एंव हॉस्पिटल (राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित को छोड़ंकर) के स्वामी	2,500/- प्रतिवर्ष

	जारव-७ गण्ट (असावारण), बुववार 1 फरवरा, 2012	17
	अथवा पद्याधारी	
	(d) पैथोलॉजी जाँच लैब और एक्सरे क्लीनिक के स्वामी अथवा पट्टाघारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(e) ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनर तथा इंटिरियर डेकोरेटर्स के स्वामी अथवा पट्टाधारी	2,500/- प्रतिवर्ष
	(f) तेल घानी (बिजली के साथ), तेल चक्की (बिजली के साथ), हॉलर मिल, काजू फैक्टरी, डिकार्टेकेटिंग मिल, आरा मिल, कपास ओटाई अथवा प्रसंस्करण फैक्टरी, लघु आटा मिल (भाड़े पर संचालित), गोंद विनिर्माण इकाई, बेकरी, होसियरी विनिर्माण इकाई सिमेंट फर्श अथवा स्टोन विनिर्माण इकाई (वे जो प्रविष्टि 7 में शामिल तथा प्रविष्टि 10 के (अ) और (फ) के उद्देश्यों के लिए है को छोड़कर) के स्वामी अथवा पट्टाधारी	
12	(a) आवासीय होटल अथवा लॉजिंग हाउस जिसमें 10 से कम कमरे नहीं है के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) (i) थिएटर के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) टूरिंग टाकिज के मालिक .	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iii) विडियो पार्लर के मालिक	1000/- प्रतिवर्ष
	(iv) केंबल टीवी संचालक जिसमें सिग्नल प्रदाता, केंबल किराएदार तथा उसके अभिकर्ता शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
13	ट्रांसपोर्ट वाहन के धारक (ऑटोरिक्शा को छोड़कर) जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परिमट प्रदान किया गया है	2500/- प्रतिवर्ष प्रति प्रत्येक वाह
	द्रांसपोर्ट वाहन के घारक (दो ऑटोरिक्शा को छोड़कर) जिन्हें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत परमिट प्रदान किया गया है	1000/- प्रतिवर्ष प्रति प्रत्येक वाह
14	ऋण / उधारी प्रदान करने वाले, जिन्हें धन के आदान—प्रदान करने संबंधी कानून के अंतर्गत अनुज्ञा प्राप्त हो, वित्तीय अभिकरण, जो वर्तमान में राज्य में लागू हो (a) वे जो वर्ष में पंद्रह लाख और इससे अधिक राशि उधार में देते हैं (b) उपरोक्त (a) में उल्लेखित के अलावा	2,500/- प्रतिवर्ष 1,500/- प्रतिवर्ष
15	चिट फंड का संचालन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्थाएँ	2,500/- प्रतिवर्ष
16	सहकारी समितियाँ जो संबंधित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं और किसी पेशे, व्यापार अथवा आर्ज	
	(i) राज्य स्तर की समितियाँ	2,500/- प्रतिवर्ष
	(ii) बैंक, ग्रामीण बैंको को मिलाकर	2,500/- प्रतिवर्ष
	(11) A	1,000/- प्रतिवर्ष
	(iv) विकासखंड / पंचायत स्तर की समितियाँ	500/- प्रतिवर्ष
	(v) ग्राम स्तर की समितियाँ	100/- प्रतिवर्ष
17	बैंकिंग कंपनी जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित है	2,500/- प्रतिवर्ष
18	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सभी कंपनियाँ जो पेशे, व्यापार अथवा आजीविका से जुड़े हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
19	फिल्म के प्रत्येक साझेदार जो किसी पेशे, व्यापार अथवा आजीविका से जुड़े हैं	1,000/- प्रतिवर्ष
20	चार्टर्ड अकाउन्टेंट, जिनका पेशा है:- (i) दो वर्षों से कम नहीं, लेकिन पाँच वर्षों से अधिक नहीं	1,000/- प्रतिवर्ष 2,500/- प्रतिवर्ष
21	मेडिकल प्रैक्टिसनर, जिसमें मेडिकल परामर्शदाता (आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी औषध प्रणाली के	पेशावरों को

	कोडकर), दंतचिकित्सक, रेडियोलाजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और वे व्यक्ति जो पैरामेडिकल के इसी प्रका अजीविका से जुड़े हुए हैं	र के पेशे अथवा
	(i) दो वर्षों से कम	aled a
	(ii) दो वर्षों के पश्चात	2,500/- प्रतिवर्ध
22	इंजिनियर्स, आरसीसी सलाहकार, वास्तुविद और प्रबंध सलाहकार	1
	(i) दो वर्ष से कम	शून्य
	(ii) दो वर्षों के पश्चात	2,500/- प्रतिवर्ष
23	(a) फिल्म के वितरक और ट्रैवल एजेंट जो निम्न उप—मद (b) के अंतर्गत नहीं आते हैं, (b) एयर ट्रैवल एजेंट	1,000/- प्रतिवर्ष 2,500/- प्रतिवर्ष
24	पत्रकार	600/- प्रतिवर्ष
25	विज्ञापन संस्थाएँ / अभिकरण	2,500/- प्रतिवर्ष
26	जॉब कार्य हेतु फोटोकॉपी मशीन (एक मशीन) का उपयोग करने वाले व्यक्ति	शून्य
Supression	जॉब कार्य हेतु फोटोकॉपी मशीन (एक मशीन से अधिक) का उपयोग करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
27	विडियो कैसेट लाईब्रेरी जिसमें सीडी/डीवीडी भी आते हैं	1,500/- प्रतिवर्ष
28	शैक्षणिक संस्थान और ट्यूटोरियल, कॉलेज अथवा वे संस्थान जो राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नहीं है	
	i) ट्यूटोरियल जहाँ कक्षा 7वीं तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं	1,500/- प्रतिवर्ष
	ii) ट्यूटोरियल जहाँ कक्षा 10वीं तक की कक्षाएँ चलाई जाती हैं	2,000/- प्रतिवर्ष
410000000	iii) जूनियर कॉलेज और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान और द्यूटोरियल जहाँ 10वीं एवं 10+2 से उपर की कक्षाएँ संचालित होती हों	2,500/- प्रतिवर्ष
29	टाईपिंग संस्थान / प्रशिक्षण संस्थान जहाँ शार्टहैंड और टाईपिंग सीखाया जाता हो	1,000/- प्रतिवर्ष
30	वे व्यक्ति जो एसटीडी/आईएसडी बूथ संचालक/स्वामी, उन्हे छोड़कर जो सरकार द्वारा अथवा शारीरिक विकलांग द्वारा संचालित है	1,000/- प्रतिवर्ष
-31	प्रापर्टी खेवेलपर्स जिसमें भूमि विकास करने वाले और भवन/फ्लैट बनाने वाले शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
32	व्यक्ति जो निम्न का संचालन करने / स्वामी हैं	-
	(a) इंटरनेट अथवा साईबर कैफे	2,500/- प्रतिवर्ष
	(b) कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान	2,500/- प्रतिवर्ष
III COLL	(c) ड्राईविंग संस्थान / टेक्नीकल प्रशिक्षण संस्थान	1,000/- प्रतिवर्ष
33	वे व्यक्ति जो विवाह हॉल/कल्याण मंडप के स्वामी हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
34	आउटडोर फिल्म शूटिंग इकाई के मालिक	2,500/- प्रतिवर्ष
35	(a) वन के ठेकेदार	750/- प्रतिवर्ष
	(b) ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रांसपोर्ट ठेकेदार जिसमें फार्वर्डिंग और क्लीयरिंग एजेंट शामिल हों	2,500/- प्रतिवर्ष
	(c) बैंकर जो हुंडी के समक्ष वित्त का व्यापार करते हैं अथवा अन्य प्रतिभूति जो लघु—अवधि अग्रिम के ब्याज पर हो	2,500/- प्रतिवर्ष

36	(a) स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकृत सहायक	550/- प्रतिवर्ष
	(b) सब-ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं	1,000/- प्रतिवर्ष_
	(c) वर्भ कॉटा संचालन करने वाले व्यवित	2,500/- प्रतिवर्ष
	(d) कूरियर सर्विस का परिचालन अथवा संचालन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
	(e) कोल्ड स्टोरेज के स्वामी अथवा पट्टेदार	2,500/- प्रतिवर्ष
	(f) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सलाहकार तथा वे व्यक्ति जो इस तरह के कार्य से जुड़े हैं	2,500/- प्रतिवर्ष
	(g) सेक्यूरिटी कार्मिक प्रदान करने वाली एजेंसियाँ	2,500/- प्रतिवर्ष
	(h) ई-कामर्स और ई-नीलामी के पेशे का संचालन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
	(i) आयोजनो, पेजेन्ट्स, फैशन शो और इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले व्यक्ति	2,500/- प्रतिवर्ष
37	अन्य सभी व्यक्ति, जो उपरोक्त प्रविष्टियों में उल्लेख किए गए किसी भी मद में नहीं आते हों, तथा किसी पेशे, व्यापार अथवा आजीविका या रोजगार से जुड़े हैं	1,000/- प्रतिवर्ष

व्याख्या I – किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद, किसी स्वरोजगार की शाखा के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाता जो मद संख्या 2 से 37 की अनुसूची में आते हो, एक पृथक करदाता के उद्देश्य से अनुसूची के विशेष उल्लेखित वृत्तिकर का भुगतान करने/देने हेतु बाध्य होगा।

व्याख्या II – किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं किए जाने के बावजूद, जहाँ किसी करदाता को यहाँ एक से अधिक प्रविष्टियों की अनुसूची में शामिल किया गया है, ऐसे मामले में उन प्रविष्टियों के अंतर्गत अधिकतम निर्धारित कर के दर से कर का भुगतान करने हेतु मान्य होगा।

व्याख्या III – कर के दर की बाध्यता के निर्धारण के उद्देश्य हेतु इस अनुसूची में क्रम संख्या 9 की प्रविष्टि के संबंध में और कर्मचारियों की अधिक संख्या और/या वर्ष के दौरान किसी भी समय में किए गणना के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

व्याख्या IV — "कारोबार" अथवा "सकल कारोबार" को निर्धारित करने के उद्देश्य से झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के संदर्भ में परिभाषित तथा उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार मान्य होंगे।

व्याख्या V – 'ठेकेदार' शब्द का प्रयोग 'कार्य संविदा' और 'कार्य ठेकेदार' के अभिप्राय से ही लिया गया है जैसा कि झारखंड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के संदर्भ में परिभाषित तथा उसके अनुसार बनाए गए नियमों के अनुसार हैं।

व्याख्या VI — "प्रतिवर्ष" की शब्दावली जिसका प्रयोग अनुसूची में किया गया है, का तात्पर्य 'प्रत्येक वर्ष' है।

पंकज श्रीवास्तव, सरकार के सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची

अधिसूचना

30 जनवरी, 2012

संख्या—एल०जी०—19/2011—15/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2012 को अनुमत झारखण्ड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम, 2011 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

[JHARKHAND ACT 02 of 2012]

THE JHARKHAND TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011

An Act to provide for the levy of tax on professions, trades, callings and employments in the State of Jharkhand.

WHEREAS, it is expedient to create a fund for the purpose of the benefit of the State towards welfare of the schedule tribes, schedule castes and weaker section of the State and as such to provide for the levy of tax on professions, trades, callings and employments;

BE it enacted by the Legislature of the State of Jharkhand, in the Sixty Two year of the Republic of India as follows:-

- Short title, extent and commencement (1) This Act may be called the Jharkhand Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011.
 - (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. Definitions (1) In this Act, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Appellate Authority" means the appellate authority, as appointed under the provisions of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005.
 - (b) "Assessee" means a person or employer by whom tax is payable under this Act.
 - (c) "Commissioner" for the purpose of this Act means the Commissioner of Commercial Taxes or Additional Commissioner of Commercial Taxes as appointed by the Government under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and includes any other officer appointed under Section 4 of Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 upon

whom the State Government may by notification, confer all or any of the powers and duties of the Commissioner to carry out the purposes of this Act.

- (d) "Employee" means a person employed on salary or wages and includes:-
 - (i) an employee of the Central Government or any State Government to whom the salary is paid either from the consolidated Fund of India or of a State or the Railway fund;
 - (ii) a person in the service of a body, whether incorporated or not, which is owned or controlled by the Central Government or any State Government, where the body operates in any part of the State, even though its headquarters may be situated outside the State;
 - (iii) a person in the service of: a company whether incorporate or not, firm, State Government or the Central Government undertakings, Public Limited companies whether owned and controlled by the State or the Central Government, Boards, Local Authorities, corporations, Public or Private Ltd. companies or otherwise, Banks, Insurance Companies or all such organizations, societies, hotels, cooperative societies, foreign companies including joint ventures; who appoint person on payment of salary or wages and for this purpose also includes "self employment" or "self employed".
 - (iv) any other person engaged in any employment of an employer, not covered by items(i) and (iii) above;
- (e) "Employer" in relation to an employee earning any salary or wages whether on regular basis or otherwise under him, means the person or the officer, who is responsible for the disbursement of such salary or wages and includes the head of the office or any <u>establishment</u> as well as the manager or agent of the employer;
- (f) "Employment" means any person who holds any appointment, whether in State Government or the Central Government, undertakings and Public Limited companies whether owned and controlled by the State or the Central Government, Boards, Local Authorities, Public or Private Ltd. companies and otherwise, Banks, Insurance Companies or all such organizations, who appoint persons on payment of salary or wages and for this purpose also includes "self employment" or "self employed".
- (g) "Engaged", in relation to any profession, trade, calling or employment means: occupied fully or otherwise in such profession, trade, calling or employment, whether any pecuniary benefit or benefit of any nature whatsoever, actually accrues or not to a person, from such occupation.
- (h) "Government" means the State Government of Jharkhand;
- (i) "Local Authority" means and includes the -

(a) Municipal Corporation

(e) Town Board

(I) Nagar Panchayat, or

(b) Municipality

(f) Mines Board

(c) Notified Area Committee

(g) Municipal Board

(d) Cantonment Board

(h) Gram Panchayat

Any other Local Authority or any Authority by whatever nomenclature called, constituted or continued under or in any law for the time being in force.

- (j) "Month" means a calendar month and in respect of a period of less than one month, shall be computed proportionately.
- (k) "Notification" means a notification published in the Official Gazette of the Government.
- (!) "Person" means any person who is engaged in any profession, trade, calling or employment or transacts business; in the State of Jharkhand and includes a Hindu undivided family, firm, company, foreign company (s), corporation or other corporate body, any society including cooperative society (s), club or association, so engaged but does not include any person who earns wages on a casual basis:

Explanation I: Every branch of a firm, company, foreign companies, corporation or other corporate body, any society, club or association shall be deemed to be a person whether its principal place of business is situated in the State or not;

Explanation II: firm means; whether proprietorships or registered under the Indian Partnership Act, 1932, or not;

Explanation III: A person shall be deemed to have exercised a profession, trade or calling or held an appointment within the State, if that person has an office or place of employment within the State.

- (m) "Prescribed" means as prescribed by rules made by the Government under this Act;
- (n) "Prescribed Authority" means the authorities as appointed under section 4 of the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006) and as specified under sub-section (2) of Section 4 of the said Act, to exercise and perform the powers and duties respectively conferred upon such authorities by or under the said Act, within the specified respective area(s) mentioned in the corresponding entries of the said notification and as prescribed to carry out the functions, duties and powers: in order to carry out the purposes of this Act.
- (o) "Quarter" means the quarter ending on the 30th June, 30th September, 31st December and 31st March:
- (p) "Salary or Wages" includes pay, or wages, dearness allowances and all other remuneration received by any assessee on regular basis, whether payable in cash or kind and also includes perquisites and profits in lieu of salary as defined in section 17 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), but does not include bonus in any form on any account or gratuity or pension;
- (q) "Schedule" means a schedule appended to this Act;
- (r) "State" means the State of Jharkhand
- (s) "Tax" means the tax on professions, trades, callings and employments payable under this Act
- (t) The expression "transacts business" shall be deemed to include the doing of acts of business of whatever nature, whether isolated or not, such as soliciting, obtaining or transmitting orders or buying, making, manufacturing, exporting, importing, recovering, transmitting or otherwise dealing with goods;
- (u) "Tribunal" means the Tribunal constituted under section 3 of the Jharkhand Value Added Tax Act 2005.
- (v) "Welfare Fund" means, the "Jharkhand Welfare Fund"; as created by the State Government through a Notification published in the Official Gazette: for the purpose of the welfare of the schedule tribes, schedule castes and weaker sections of the State

(w) "Year" means a financial year and in respect of a period of less than a year, shall be computed proportionately.

Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning as assigned to them in the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 and the Rules made thereunder.

- 3. Levy and charge of Tax (1) Subject to the provisions of Article 276 of the Constitution of India and sub-section (3) of this Section; there shall be levied and collected a tax, on every employee, who exercises a professions, trades, callings and employments or transact business; (for a minimum of 120 days in a year) for the benefit of the State towards the welfare of the schedule tribes, schedule castes and weaker sections of the State.
- (2) Every person or employee engaged actively or otherwise in any profession, trade, calling or employment and falling under one or the other of classes mentioned in the second column of Schedule, shall be liable to pay to the State Government the tax at the rate(s) mentioned against the class of such person(s) in the third column of the said Schedule:

Provided that, the tax so payable in respect of any person or employee shall be subject to the restriction prescribed in Clause 2 of the Article 276 of the Constitution.

Provided further that the State Government may specify different rate or rates of tax in respect to different categories of person(s) or employees.

- (3)(i) No tax shall be payable by the person(s), whose salary or wages do not exceeds fifteen thousand a month.
- (ii) No tax shall be payable by the persons employed with the Union Ministry of Defence, Union Ministry of Home Affairs and Border Security Force.
- 4. Tax to be appropriated into the Welfare Fund (1) The Tax levied and collected under this Act, shall be appropriated into the "Welfare Fund", as created under clause (v) of Section 2 of this Act.
- (2) The tax payable under section 3 and 5 shall continue to be levied till such time as is required to provide the welfare of the schedule tribes, schedule castes and weaker sections of the State.
- (3) The proceeds of the "Welfare Fund" shall be utilized, exclusively for the welfare of the schedule tribes, schedule castes and weaker sections of the State.
- (4) The State Government shall, by a notification issued in this behalf, specify the manner of deposit of tax under appropriate Heads of Accounts or in such bank account as notified in this behalf.
- (5) The State Government by a notification shall form a high level committee, which shall prescribe the manner of disbursement of the welfare fund for the purposes as carried out in this section.
- 5. Employer's liability to deduct and pay tax on behalf of employees (1) Save as provided in Section 6, the tax payable under this Act, by any person or employee earning a salary or wage, shall be deducted by his employer from the monthly salary or wage payable to such person or employee, before such salary or wage is paid to him,

and such employer shall, irrespective of whether such deduction has been made or not, when the salary or wage is paid to such persons, be liable to pay/deposit tax within fifteen days after the end of the quarter, on behalf of all such employees / persons.

Provided that, where the employer is an officer of the State Government or the Central Government or the State Government or the Central Government undertakings, or Public Limited companies, whether owned and controlled by the State or the Central Government, Boards, Local Authorities, Public or Private Ltd. companies or otherwise, Banks, Insurance Companies, Societies or all such organizations, who appoint persons on payment of salary or wages; the manner in which such employer shall discharge the said liability, shall be such as may be prescribed or specified:

Provided further that, whether any person earning a salary or wages -

- (a) is also covered by one or more entries other than entry 1 in the Schedule and the rate of tax under any such other entry is more than the rate of tax under entry 1 in that schedule; or
 - (b) is simultaneously engaged in employment of more than one employer;

and such person or employee furnishes to his employer or employers a certificate in the prescribed form declaring, inter-alia, that he shall get enrolled under sub-section (2) of section 7 and pay the tax himself; then the employer or employers of such person shall not deduct the tax from the salary or wage payable to such person and such employer or employers, as the case may be, shall not be liable to pay tax on behalf of such person.

- Payment of tax The amount of tax due from the assessees for each quarter as specified in their enrolment certificate shall be paid; -
- (a) before 30th June; in respect of an assessee who stands enrolled immediately before the commencement of a year or is enrolled on or before the 31st May of a year;
- (b) within one month of the date of enrolment in respect of an assessee who is enrolled after the 31st May of a year; in the prescribed manner; and
- (c) for all other such assessee, other than the assesses mentioned in entry no. 1 of the Schedule; by the fifteenth day of the month after the expiry of a quarter.

Explanation – The tax payable under this Act, read with the Schedule shall be charged on monthly basis, but shall be paid by the fifteenth day of the month after the expiry of a quarter.

- 7. Registration and enrolment (1) Subject to sub-section (2); every assessee (not being an officer of the State Government or the Central Government) liable to pay tax under section 3, shall obtain a certificate of registration from the prescribed authority in the prescribed manner.
- (2) Every employer as specified in the proviso of Section 5 (other than a person earning salary or wages, in respect of whom the tax is payable by his employer), liable to pay the tax under this Act, shall also obtain a certificate of enrolment from the prescribed authority in the prescribed manner.

- (3) Every assessee required to obtain a certificate of registration or enrolment under this section shall-
 - (a) within ninety days from the date of commencement of this Act; or
- (b) if he has not engaged in any profession, trade, calling or employment on the date of such commencement, within sixty days of his becoming liable to pay tax;

Apply for a certificate of registration or enrolment or a revised certificate of enrolment, as the case may be, before the prescribed authority in the prescribed form and the prescribed authority shall after making such enquiry as may be necessary within thirty days of the receipt of such application, if the application is in order, grant him such certificate of registration or enrolment.

- (4) The prescribed authority, shall mention in every certificate of enrolment the amount of tax payable by the holder according to the First Schedule and the date by which it shall be paid.
- (5) Where an assessee liable to registration or enrolment has willfully failed to apply for such certificate within the time, specified in sub-section (3), the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty which shall not be less than rupees ten but which shall not exceed rupees twenty for each day of delay in case of any employer and not exceeding rupees five for each day of delay in case of others.
- (6) Where an assessee liable to registration or enrolment has deliberately given false information in any application submitted under this section, the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty which shall not be less than rupees one hundred but which shall not exceed rupees one thousand.
- 8. Returns (1) Every assessee registered under this Act, shall submit to the prescribed authority a true, correct and complete return in such form, for such period or periods and by such dates as may be prescribed showing therein the salaries and wages paid by him and the amount of tax deducted by him in respect thereof.
- (2) Every such return shall be accompanied by a treasury challan in proof of payment of full amount of tax due according to the return, and a return without such proof of payment shall not be deemed to have been duly submitted.
- (3) Where an assessee has without reasonable cause failed to submit such return within the specified period, the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of making representation impose upon him a penalty which shall not be less than rupees fifty but which shall not exceed rupees five hundred for each day of delay.
- 9. Assessment of an assessee (1) If the prescribed authority is satisfied that the return submitted by an assessee is true, correct and complete, it may accept the return as self assessment. If the return appears to it to be incorrect or incomplete, it shall, after giving the assessee a reasonable opportunity of proving the correctness or completeness of the return submitted by him and making such enquiry as it deemed necessary, assess to the best of its judgment, the amount of tax due from such assessee.

- (2) The amount of tax due from any assessee shall be assessed separately for each year within a period of four years from the expiry of the year to which the assessment relates.
- (3) If any assessee has failed to get himself registered or having been registered, has failed to submit any return, the prescribed authority shall, after giving the assessee a reasonable opportunity of making representation and after making such inquiry as he deems necessary pass an order assessing the amount of tax due, to the best of its judgment.
- (4) The amount of tax so assessed shall be paid within thirty days of receipt of the notice of demand from the prescribed authority.
- (5) In making an assessment under sub-section (1), the prescribed authority if it is satisfied that the escaped assessment was due to wilful nondisclosure of information or attempt to evade the tax by the assessee, the prescribed authority may also direct to pay in addition to the tax assessed a penalty which shall not be less than one and half times the tax so assessed but which shall not exceed three times the tax so assessed:

Provided that no penalty under this sub-section shall be imposed unless the assessee affected has had a reasonable opportunity of showing cause against the imposition of such penalty.

10. Assessment of escaped or under-assessed tax and audit observations – (1) If for any reason any tax payable under this Act, has escaped assessment or has been under assessed or assessed at a lower rate than the rate at which it is assessable, the prescribed authority, excluding the Commissioner of Commercial Taxes, may at any time within four years from the expiry of the year to which the tax relates, proceed to assess or reassess the tax, as the case may be, to the best of its judgment after issuing a notice to the assessee concerned and after making such enquiry as it considers necessary.

Provided that the Commissioner may on existence of reasonable grounds being so satisfied relax the aforesaid of four years for a further period of two years.

Provided that the tax shall be charges at the rate at which it would have been charged if such tax had not escaped assessment or, as the case may be, had not been under assessed or assessed at a rate lower than the rate at which it was assessable.

(2) Where an observation has been made by the Comptroller and Auditor-General of India, in respect of an assessment or re-assessment made, and the prescribed authority is satisfied with the said observation, he shall proceed to re-assess the assessee with respect to whose assessment or re-assessment, as the case may be, the said observations has been made.

Provided that no order under this section shall be passed without giving the assessee an opportunity of being heard.

- 11. Consequences of failure to deduct or to pay tax (1) If an assessee (not being an officer of the State Government or the Central Government) does not deduct the tax at the time of payment of salary or wages or after deducting, fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall-
 - (a) be deemed to be an assessee in default in respect of the tax; and

- (b) be liable to pay such interest as may be prescribed on the amount of tax due for each month of part thereof for the period for which the tax remains unpaid.
- (2) If an enrolled person fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall be liable to pay interest at the rate and in the manner laid down in sub-section (1)
- 12. Penalty for non-payment of tax If an assessee fails, without reasonable cause to make payment of any amount of tax within the time specified in the notice of demand, the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of making his representation, impose upon him a penalty which shall not be less than fifteen percent but not exceeding twenty five percent of the amount of tax due.

This penalty shall be in addition to the interest Payable under sub-section (1) or sub-section (2) of section 11.

- 13. Recovery of tax etc The arrears of tax, penalty, interest or any other amount due under this Act, shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- 14. Appeals (1) Any assessee (not being an officer of the State Government or the Central Government) aggrieved by any order passed by any prescribed authority under the provisions of this Act, may within forty five days from the date on which the order was served on him, appeal to the appellate authority.

Provided that appellate authority may for sufficient cause shown admit an appeal preferred after the expiry of the period of forty five days aforesaid.

- (2) No appeal shall be entertained, unless 25% of the amount of tax and penalty with interest, if any, in respect of which the appeal has been preferred has been paid.
- (3) The appeal shall be in such form and verified in such manner, as may be prescribed and shall be accompanied by a fee calculated at the rate of two percent of the tax, penalty or interest under dispute, subject to a minimum of rupees fifty and maximum of rupees one thousand.
- (4) The appellate authority may after giving the appellant an opportunity of being heard and subject to such rules or procedure as may be prescribed:-
- (a) confirm, reduce, enhance, or annul or otherwise modify the assessment, penalty or interest as the case may be;
- (b) set aside the assessment, penalty or interest as the case may be and direct the prescribed authority to pass a fresh order after such further inquiry as may be directed; or
 - (c) pass such other orders as it may think fit.
- (5) Before passing orders under sub-section (4), the appellate authority may make such inquiry as it deems fit or remand the case to any subordinate prescribed authority for an inquiry and report on any specified point or points.
- (6) Every order passed in appeal under this section shall, subject to the provisions of section 15, be final.
- 15. Revision (1) The Commissioner may, suo-motto or on an application made to him, call for and examine the record of the proceeding of any order made by the prescribed authority, or as the case may be, the appellate authority for the purpose of

satisfying himself as to the legality of propriety of such order and pass such order thereon as he deems fit.

- (2) No application under sub-section (1) shall be entertained if it is not made within a period of four months from the date of receipt of the order and unless it is accompanied by a fee calculated at the rate of two percent of the tax or penalty under dispute subject to a minimum of rupees one hundred and a maximum of rupees two thousand.
- (3) The powers of revision shall be exercised within such period not exceeding four years from the date on which the order was served on the assessee.
- (4) No order which adversely affects any assessee shall be passed under this section, unless such assessee has been given a reasonable opportunity of being heard.
- (5) Where the Commissioner rejects any application for revision under this section, he shall record the reasons for such rejection.
- (6) Where an order has been passed under section 14 and sub-section (1) of this section, may be revised by the Tribunal.
- 16. Accounts (1) If the prescribed authority is satisfied that the books of account and other documents maintained by an assessee in the normal course of his business are not adequate for verification of the returns submitted by the employer under this Act, it shall be lawful for the prescribed authority to direct the employer to maintain the books of account or other documents in such manner as he may in writing direct, and thereupon the assessee shall maintain such books or other documents accordingly.
- (2) Where an assessee willfully fails to maintain the books of accounts or other documents as directed under sub-section (1), the prescribed authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose a penalty not exceeding rupees fifty for each day of such default.
- 17. Special mode (1) Notwithstanding anything contained in any law or contract to the contrary, the Commissioner or the prescribed authority may, by notice in writing, a copy of which shall be forwarded to the assessee at his last address known to the prescribed authority, require:
- (a) any person from whom any amount of money is due, or may become due to an assessee on whom notice of demand has been served under this Act; or
- (b) any person who holds or may subsequently hold money for or on account of such assessee, to pay the prescribed authority, either forthwith upon the money becoming due or being held at or within the time specified in the notice (but not before the money becomes due or is held as aforesaid), so much of the money as is sufficient to pay the amount due by the assessee in respect of the arrears of tax, penalty or interest under this Act, or the whole of the money when it is equal to or less than that amount.

Explanation: For the purpose of this section, the amount of money due to an assessee from, or money held for or on account of an assessee by, any person shall be calculated after deducting therefrom such claims if any lawfully subsisting, as may have fallen due for payment by such assessee to such person.

- (2) The Commissioner or the prescribed authority may amend or revoke any such notice, or extend the time for making any payment in pursuance of the notice.
- (3) Any person making any payment in compliance with a notice under this section shall be deemed to have made the payment under the authority of the assessee and the receipt of the prescribed authority shall constitute a good and sufficient discharge of the liability of such a person, to the extent of the amount referred to in the receipt.
- (4) Any person discharging any liability to the assessee after receipt of the notice referred to in this section, shall be personally liable to the prescribed authority to the extent of liability discharged, or the extent of the liability of the assessee for the amount due under this Act, whichever is less.
- (5) Where any person to whom a notice under this section is sent proves to the satisfaction of the prescribed authority that the sum demanded or any part thereof is not due by him to the assessee or that he does not hold any money for or on account of the assessee then nothing contained in this section shall be deemed to require such person to pay any such sum or part thereof, as the case may be, to the prescribed authority.
- (6) Any amount of money which a person is required to pay to the prescribed authority or for which he is personally liable to the prescribed authority under this section, shall if it remains unpaid be recoverable as an arrear of land revenue.
- 18. Recovery of tax where trade, calling etc. of employer is transferred Where the ownership of the profession, trade, calling or employment of an assessee liable to pay tax is transferred, any tax, penalty or interest or other amount payable under this Act, in respect of such business and remaining unpaid at the time of the transfer, may without prejudice to any action that may be taken for its recovery from the transferor, be recoverable from the transferee as if he were the assessee liable to pay such tax, penalty or interest or other amount.
- 19. Production and inspection of accounts and documents and search of premises - Any prescribed authority under this Act, may inspect and search any premises, where any profession, trade, calling or employment liable to tax under this Act, is carried on or is suspected to be carried on and may require production and examination of books, registers, account or documents relating thereto and may seize such books, registers, accounts or documents as may be necessary:

Provided that, if the prescribed authority removes from the said premises any book, register, account or document, he or it shall give to the person incharge of the place, a receipt describing the book, register, account or document so removed and retain the same only for so long as may be necessary for the purpose of examination thereof or for the prosecution.

20. Refund of excess - The prescribed authority shall refund to assessee the amount of tax, penalty interest or other amount, if any, paid by such assessee in excess of the amount due from him. The refund may be made either by cash or, at the option of the assessee by deduction of such excess from the amount of tax, penalty interest or other amount due in respect of any other period:

Provided that, the prescribed authority shall first apply such excess towards the recovery of any amount due in respect of which a notice under section 9 has been served, and shall then refund the balance, if any.

- 21. Offences and penalties Any assessee who, without sufficient cause, fails to comply with any of the provisions of the Act or the rules made thereunder shall, on conviction, be punished with fine which shall not be less than five hundred rupees but shall not exceed five thousand rupees, and when the offence is a continuing one, with fine which shall not be less than ten rupees but shall not exceed twenty rupees per day during the period of the continuance of the offence.
- 22. Offences by Companies (1) Where an offence under this Act, has been committed by any company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to such company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation: For the purposes of this section, -

- (a) "company" means any body corporate and includes a foreign company, firm or other association of individuals; and
 - (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.
- 23. Power to transfer proceedings The Commissioner may, after giving the persons a reasonable opportunity of being heard, wherever it is possible so to do, and after recording his reason for doing so, by order in writing transfer any proceedings or class of proceedings under any provision of this Act, from himself to any other officer, and he may likewise transfer any such proceedings (including a proceeding pending with any officer or already transferred under this section) from any officer to any other officer or to himself.

Explanation: In this section, the word "proceedings" in relation to any assessee concerned is specified in any order issued thereunder means all proceedings under this Act in respect of any year, which may be pending on the date of such order or which may have been completed on or before such date, and includes also all proceedings under this Act which may be commenced after the date of such order in respect of any year in relation to such assessee.

- 24. Compounding of offences (1) The prescribed authority may, either before or after the institution of proceedings for an offence under this Act, permit any assessee charged with the offence to compound the offence on payment of such sum, not exceeding double the amount of tax recoverable.
- (2) On payment of such sum as may be determined by the prescribed authority under sub-section (1) no further proceedings shall be taken against the person in respect of the same offence.
- (3) Any order passed or proceeding recorded by the prescribed authority under sub-section (1) shall be final and no appeal or application for revision shall lie therefrom.
- 25. Powers to enforce attendance etc The Commissioner and the prescribed authorities under this Act, shall have the same powers as are vested in a Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit, for the purpose of enforcing the attendance of and examining any person on oath or affirmation or for compelling the production of any documents or accounts.
- 26. Bar of jurisdiction of Courts No Court shall entertain any suit, or other proceeding to set aside or modify, or question the validity of any assessment, order or decision made or passed by prescribed authority under their Act or the rules made thereunder or in respect of any other matter falling within its or his scope.
- 27. Protection of acts done in good faith No suit, prosecution, or other proceedings shall lie against the Government or prescribed authority or person empowered to exercise the powers and perform the functions by or under this Act or the rules or orders made thereunder.
- 28. Powers to delegate The Commissioner may, subject to such conditions and restrictions as the Government may by general or special order impose, by order in writing delegate to prescribed authority subordinate to him, either generally or as respects any particular matter of class of matters any or all of his powers under this Act.
- 29. Power to amend Schedule (1) The Government may, by notification amend, alter, add to or delete any item or entry in the Schedule appended to this Act.
- (2) All references made in this Act, to any items or entries of the said Schedule shall be construed as relating to the item of the Schedule as for the time being amended in exercise of the powers conferred by this section.
- 30. Local authorities not to levy profession tax Notwithstanding anything in any enactment governing the constitution or establishment of a local authority, no Local authority shall, on or after the commencement of this Act, levy any tax on professions, trades, callings or employments.
- 31. Powers to make rules (1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for the fees payable in respect of any applications to be made, forms to be supplied, certificates to be granted and appeals and applications for revision to be made under this Act and also any applications for certified copies of documents filed and orders made under this Act.
- (3) Every rules made under this Act shall within six months after it is made, be laid before the Legislative Assembly of the State if it is in session and if it is not in

session, in the session immediately following for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiration of the session in which it is so laid or the session immediately following the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or in the annulment of the rule, the rule shall, from the date on which the modification or annulment is notified, have effect only in such modified form or shall stand annulled, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

- 32. Repeal and savings:- (1) Section 177, 178, 179 read with Clause (i) of subsection (1) of Section 123 of the adopted Patna Municipal Corporation Act 1951 and chapter IVA read with the Fourth Schedule of the adopted Bihar Municipal Act 1922 and the Rules made and Notification issued thereunder, the said Acts and as adopted in the State of Jharkhand are hereby repealed from the date of commencement of this Act and herein referred to as "repealed Acts".
 - (2) The repeal shall not;
- (a) revive anything not in force or existing at the time of which the repeal takes effect; or
- (b) affect any right, title, obligation, or liability already acquired, accrued or incurred for any thing done or suffered in the respect of the period immediately preceding this repeal; or
- (c) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred or inflicted in respect of any offence or violation committed under the provisions of the repealed Act; or
- (d) affect any investigation, inquiry, assessment, proceeding, any other legal proceeding or remedy instituted, continued or enforced under the repealed Act and any such penalty, forfeiture or punishment as aforesaid or any proceeding or remedy instituted, continued, or enforced under the repealed act shall be deemed to be instituted, continued or enforced under the corresponding provisions of this Act.
- (3) All rules, orders and appointments made and notifications published, certificates granted, powers conferred and other things done under the repealed Act and in force on the commencement of this Act, so far they are not inconsistent with or until they are not modified, superceded or cancelled under this Act be deemed to have been respectively made, published, granted, conferred or done under this Act.
- (4) Any reference to any Section of the repealed Act in any rule, notification, regulation or circular shall be deemed to refer to the relevant corresponding Section of this Act, until necessary amendments are made in such rule, notification, regulation or circular.
- (5) The limitations provided in this Act shall apply prospectively, and all events occurred and all issues arose prior to the date of commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the repeated Act.
- 33. Validation and Exemption: (1) An assessee who would have continued to be so liable to pay duty under the repealed Act, had this Act not come into force, shall be deemed to be liable to pay tax under this Act as per the schedule appended to this Act.
 - (2) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act -
- (a) Any assessee liable to furnish return under the repealed Acts immediately before the appointed day shall notwithstanding that a period, in respect of which he is so liable to, furnish return, commences on and day before such appointment day and

ends on any day after such appointed day, furnish such return in respect of tax payable under this Act made up to the day immediately before such appointed day and pay tax in accordance with the provisions of repealed Act and shall furnish a separate return in respect of the remaining part of the period.

- (b) Any assessee, who is no longer liable to pay tax under the repealed Acts and whose account, registers or documents has been seized under the repealed Acts, shall continue to be retained in accordance with provision of the repealed Acts on or after appointed day;
- (c) All prescribed forms under the repealed Acts or the rules made there under and continuing in the force on the day immediately before the appointed day shall, with effect from such appointed day, continue in force and shall be used mutates mutandis for the purpose for which they were being used before such appointed day until the State Government directs, by notification, the discontinuance of the use of such forms till such time as the State Government may, by notification, specify in this behalf;
- (d) Any prescribed form obtained or obtainable by the assessee from any prescribed authority or any declaration furnished or to be furnished by or to the assessee under the repealed Acts or the rules made thereunder in respect of tax payable under the repealed Acts, before the appointed day shall be valid where such prescribed form is obtained or such prescribed form is furnished on or after such appointed day;
- (e) Any application for revision, review or reference arising from any order passed before the appointed day or any Appeal arising from any assessment of duty made before such appointed day or any application for refund, or for prescribed form, in respect of any period before such appointed day, under the repealed Acts if made before such appointed day and pending on such appointed day or if made on or such appointed day, shall be disposed or in accordance with the provisions of the repealed Acts;
- (f) The specified authority under the repealed Acts or any other authority to whom power in this behalf has been delegated by the said specified authority under the repealed Acts may on its or his own motion, review or revise any order passed before the appointed day in accordance with the provision of the repealed Acts;
- (g) Any tax assessed or penalty imposed under the repealed Acts in respect of the tax payable under the repealed Acts, before the appointed day, shall be payable or recoverable in accordance with the provisions of the repealed Acts.
- 34. Power to exempt where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, either in public interest or having regard to the peculiar circumstances of any case, it may by notification and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, exempt any class of persons or any employer or class of employers from the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as may be specified in the notification.
- 35. Power to remove difficulties If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may by notification or otherwise, make such provisions, not inconsistent with this Act, as appears to them to be necessary or expedient for removing the difficulty.

THE JHARKHAND TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS BILL, 2011

SCHEDULE

(See Section 3)

Entry No.	Class of Assessees	Rate of Tax: per annum
(1)	(2)	(3)
1	Salary and wage earners, such persons whose annual salaries or wages:	
	(i) Upto Rs. 3,00,000/-	Nil
Ti.	(ii) Range from Rs. 3,00,001/- to Rs. 5,00,000/-	1200/- PA
	(iii) Range from Rs. 5,00,001/- to Rs. 8,00,000/-	1800/- PA
	(iv) Range from Rs. 8,00,001/- to Rs. 10,00,000/-	2100/- PA
	(v) Above 10,00,000/-	2,500/- PA
2	Legal practitioners including Solicitors and Notaries Public and Technical and Professional Consultants those mentioned elsewhere in the schedule and tax consultants whose standing in the profession.	other than
2		other than
2	those mentioned elsewhere in the schedule and tax consultants whose standing in the profession.	
2	those mentioned elsewhere in the schedule and tax consultants whose standing in the profession. (i) Upto three years	Nil
3	those mentioned elsewhere in the schedule and tax consultants whose standing in the profession. (i) Upto three years (ii) Three to seven years (iii) Above 7 years	Nil 1,000/- PA 2500/-PA
	those mentioned elsewhere in the schedule and tax consultants whose standing in the profession. (i) Upto three years (ii) Three to seven years (iii) Above 7 years (i) Chief Agents, Principal Agents, Special Agents, Insurance Agents and Surveyors or loss assessors registered or licenced under the Insurance Act, 1938 (Central Act IV of 1938) whose annual income is	Nil 1,000/- PA 2500/-PA

Power to remove this has a sent may be well-mine at otherwise may called a sent may be sufficient as a otherwise may called an otherwise may be sufficient to the manufacture of the state of the sent with the sent may be stated by the state of the state

and the first that the first the processing of the left language in the first language and the first language in the first language

4	Members of Stock-Exchanges recognised under Security Contracts (Regulation) Act, 1956, Auctioneers, Commission Agents and Del Credere agents	2,500/- PA
5	(a) Estate Agents or Brokers	2,500/- PA
	(b) Contractors	
	(i) Contractors falling in the categories mentioned below as per the guidelines issued by the government from time to time for registration of contractors.	
	(a) Class I Contractors	2,500/- PA
	(b) Class II Contractors	2,0 00/-PA
	(c) Class III Contractors	1,000/-PA
	(ii) Contractors not falling in sub-category (i) mentioned above and the amount of works contract executed by them during a year is	
	(a) below Rupees ten lakhs	1,500/- PA
	(b) above Rupees ten lakhs	2,500/- PA
6	Directors (other than those nominated by the Government) of Companies Registered under the Companies Act, 1956.	2,500/- PA
7	Dealers registered or liable to be registered under Jharkhand VAT Act, 2005 (other than those mentioned in item (18) whose total turnover in any year ranges :-	
	(a) Upto Rs.5,00,000/-	Nil
	(b) from Rs.5,00,001/- to Rs.10,00,000/-	1,000/- PA
	(c) from Rs.10,00,001/- to Rs.25,00,000/-	1,500/- PA
	(d) from Rs.25,00,001/- to Rs.40,00,000/-	2,000/- PA
	(e) above Rs.40,00,000/-	2,500/- PA
	Dealers not registered or not liable to be registered under Jharkhand VAT Act, 2005 (other than those mentioned in item (18) and dealing with the goods mentioned in schedule – I of the schedule	MPL WI

	The state of the s	T	
	appended to the said Act and whose total turnover in any year ranges :-	11.51	
	(a) Upto Rs.3,00,000/-	Nil	
	(b) from Rs.3,00,001/- to Rs.10,00,000/-	1,000/- PA	
	(c) from Rs.10,00,001/- to Rs.25,00,000/-	1,500/- PA	
	(d) from Rs.25,00,001/- to Rs.40,00,000/-	2,000/- PA	
	(e) above Rs.40,00,000/-	2,500/- PA	
9	Occupiers of factories as defined under the Factories Act, 1948 who are not covered by item 7.	1,000/- PA	
10	Employers of establishments as defined under the Shops and Establishments Act, such employers of e who are not dealers are covered by Item 7	of establishments	
	(i) Where there are no employees	NII	
	(ii) Where not more than 5 Employees are employed	500/- PA	
	(iii) Where more than 5, but not more than 10 employees are employed.	1,000/- PA	
	(iv) Where there are more than 10 employees but not more than 20 are employed	2,000/- PA	
	(v) Where more than 20 employees are employed	2,500/- PA	
11	(a) Owners or lessees of petrol/diesel filing stations and service stations, garage and workshops of automobiles.	2,500/- PA	
	(b) Owners or lessees of Rice Mills, Oil Mills, Paper Mills, Dall Mills, Mini Steel Plants, Rerolling Mills, Foundaries, Tanneries, Stone Crushers, Bottling Units, Distilleries, Tiles Factories, Biscuit Factories, Chemicals and Pharmaceutical Labs, Printing Presses (With power) Fruit Canning Units.	2,500/- PA	
	(c) Owners or lessees of Nursing Home and Hospital other than those run by the State or Central Government	2,500/- PA	
	(d) Owners or lessees of Pathological Testing Lab and X Ray Clinics.	2,500/- P/	
	(e) Owners or lessees of Beauty Parlours, Dry Cleaners and Interior Decorators	2,500/- P/	

	(f) Owners or lessees of Oil ghanles (with power), Oil rotaries (with power) Huller Mills, Cashew Factories, Decorticating Mills, Saw Mills, Cotton Ginning or Pressing Factories, Small Flour Mills, (working on Hire-Basis), Gum manufacturing units, Bakeries, Hosiery manufacturing units, Cement flooring or stone manufacturing units. (other than those covered by Entry 7 and for the purpose of (a) to (f) of entry no. 10)	1,500/- PA
12	(a) Owners of Residential Hotels or Lodging Houses having not less than 10 rooms	2,500/- PA
	(b) (i) Owners of theatres	2,500/- PA
	(ii) Owners of touring talkies	1,000/- PA
	(iii) Owners of Video parlours	1000/- PA
	(iv) Cable TV operators including signal provider, cable hirer and their agents.	2,500/- PA
13	Holders of permits of transport vehicles (other than autorickshaws) granted under the Motor Vehicles Act, 1988	2500/- PA
	Holders of permits of transport vehicles (other than two autorickshaws) granted under the Motor Vehicles Act, 1988	1000/- PA
14	Money lenders, licensed under the law relating to money lenders, financing agencies, for the time being in force in the State	in .
	(a) those who lend rupees fifteen lakhs and above in a year	2,500/- PA
	(b) other than those specified at (a) above	1,500/- PA
15	Individuals or institutions conducting Chit Funds	2,500/- PA
16	Co-operative Societies registered under the respective Acts and engaged in any profession, trade or cal	ling: -
	(i) State level societies - I and the sum of	2,500/- PA
	(ii) Banks Including Gramin Banks.	2,500/- PA
	(iii) District level societies	1,000/- PA
	(iv) Block / Panchayat level societies	500/- PA
	(v) Village Level Societies	100/- PA

17	Banking Companies as defined in the Banking Regulations Act, 1949	2,500/- PA
18	All Companies Registered under the Companies Act, 1956 and engaged in a profession, trade or calling	2,500/- PA
19	Each partner of a firm engaged in any profession, trade or calling	1,000/- PA
20	Chartered Accountants where the standing in profession is: - (i) Not less than 2 years, but less than 5 years (ii) Not less than five years	1,000/- PA 2,500/- PA
21	Medical practitioners including Medical Consultants (Other than Practitioners of Ayurvedic, Homeopat systems of Medicines) Dentists, Radiologists, Pathologists and persons engaged in other similar profess callings of a Paramedical nature,-	
	(i) less than 2 years	Nil
	(ii) after two years	2,500/- PA
22	Engineers, RCC Consultants, Architects and Management Consultants.	
	(i) less than two years	Nil
	(ii) after two years	2,5 00/- PA
23	(a) Film Distributors and travel agents not falling under sub-item (b) below (b) Air travel agents	1,000/- PA 2,500/- PA
24	Journalists	600/- PA
25	Advertising Firms/Agencies	2,500/- PA
26	Persons using Photocopying machines for Job works (one machine)	NII
	Persons using Photocopying machines for job works (more than one machine)	2,500/- PA
27	Video Cassette Libraries including CDs/DVDs	1,500/- PA
28	Educational Institutions and Tutorial Colleges or Institutes other than those owned by the State or Central Government	

	अस्थिक गेजट (असावारण), बुवपार । परपरा, 2012	10
	i) Tutorials running classes up to 7th standard	1,500/- PA
	ii) Tutorials running classes up to 10th standard	2,000/- PA
	iii) Junior colleges and all other Educational Institutions and Tutorials running classes above 10th standardor or 10+2	2,500/- PA
9	Typewriting institutes / teaching shorthand and typing	1,000/- PA
10	Persons owning / running STD/ISD Booths other than those owned run by Government or physically handicapped persons	1,000/- PA
31	Property Developers including Land Developers and Bùilding / Flat Developers	2,500/- PA
32	Persons owning/running	
	(a) Internet or Cyber Cafes	2,500/- PA
	(b) Computer Training institutes	2,500/- PA
	(c) Driving Institutes/Technical Training Institutes	1,000/- PA
33	Persons owning Marriage Halls/Kalyana Mantapams	2,500/- PA
34	Owners of outdoor film Shooting units	2,500/- PA
35	(a) Forest Contractors	750/- PA
	(b) Transport Companies and transport contractors including forwarding and clearing agents	2,500/- PA
	(c) Bankers who are financing the trade against hundles or other securities by way of short-term advance on interest	2,500/- PA
36	(a) Authorised assistants recognised by stock exchange	550/- PA
	(b) Sub-brokers recognised by the Stock Exchange Board of India	1,000/- PA
	(c) Persons running weigh bridges	2,500/- PA
	(d) Persons operating and engaged in courier service	2,500/- PA

	(e) Owners or occupiers of cold storages	2,500/- PA
	(f) Computer software consultants and persons engaged in such trade	2,500/- PA
	(g) Agencies providing security personals	2,500/- PA
	(h) Mobile telephony system	2,500/- PA
	(i) Persons operating e-Commerce and e-auctions business	2,500/- PA
	(j) Persons organizing events, pageants, fashion shows and the like	2,500/-PA
37	All other persons, other than those mentioned in any of the preceding entries, who are engaged in any profession, trade or calling or employments	1,000/- PA

Explanation I – Notwithstanding anything contained in the Schedule, every branch of any self-employed assessee enumerated in items 2 to 37 of the schedule shall be deemed to be a separate assessee for the purpose of levy of profession tax specified in the schedule.

Explanation II - Notwithstanding anything contained in this schedule, where an assessee is covered by more than one entry in this schedule, the highest rate of tax specified under any of those entries shall be applicable in his case.

Explanation III - For the purpose of determining the liability the rate of tax in regard to entries in Serial No. 9 in this Schedule and the higher number of workers and/or employees at any time during the year shall be reckoned as the basis.

Explanation IV - For the purpose of determining the "turnover" or the "gross turnover"; the respecting definitions as provided in the Jharkhand Value Added Tax Act 2005 and Rules made thereunder shall apply.

Explanation V - The term 'PM' and 'PA' : used in the Schedule shall mean, 'per month' and 'per annum' respectively.

Explanation VI - The term contractor shall be construed with the same meaning and scope of "works contract" and "works contractor" as dealt in the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 and the Rules made thereunder.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, पंकज श्रीवास्तव, सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची